"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2020 — फाल्गुन 16, शक 1941

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 मार्च 2020

अधिसूचना

क्र./1361/एफ–03/28/विविध/2019/14–2.— महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाती है, अर्थात्:–

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग
परिनियम, 2020

विषय वस्तु

परिनियमः

अध्याय एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय दो–विश्वविद्यालय के अधिकारी

क–अन्य अधिकारी

3. अन्य अधिकारी

ख–विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति से भिन्न अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

4. अधिकारियों के पदो के लिए अर्हताएं
5. अधिकारियों, अध्यापकों तथा सेवा कर्मिको की नियुक्ति के लिए चयन समितियॉ
6. चयन समितियों की प्रक्रिया
7. नियुक्ति की प्रक्रिया

ग–कुलपति की परिलब्धियॉ, सेवा के निबंधन तथा शर्ते और शक्तियां तथा कर्तव्य.

8. परिलब्धियॉ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते.

घ–विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर अन्य अधिकारियों की परिलब्धियॉं, सेवा के निबंधन तथा शर्तें और शक्तियॉं तथा कर्तव्य.

9. अन्य अधिकारियों की सेवा की शर्तें आदि.
10. लेखा नियंत्रक–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
11. लेखा उप नियंत्रक–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
12. कुल सचिव–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
13. संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
14. निदेशक अनुसंधान सेवाएं–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
15. निदेशक, विस्तार सेवाएं–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
16. निदेशक शिक्षण–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
17. संकायाध्यक्षों की शक्तियां तथा कर्तव्य
18. महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष (डीन)–उसकी उपलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य
19. विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य

अध्याय तीन– विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

20. मंडल.
21. विद्या परिषद्.
22. संकाय.
23. अन्य प्राधिकरण.
24. प्रशासनिक परिषद्.
25. शिक्षा विस्तार परिषद्.
26. अनुसंधान परिषद्.
27. स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्.
28. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की समितियां.
29. प्राधिकरणों के सदस्यों को देय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

अध्याय चार–विश्वविद्यालय के कर्मचारी

क–विश्वविद्यालय के अध्यापक

30. विश्वविद्यालय के अध्यापक.
31. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अर्हताएं.
32. अध्यापकों के वेतनमान तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें.

ख– विभागाध्यक्ष, अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष तथा क्षेत्र विस्तार इकाई के अध्यक्ष

33. विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य आदि.

ग– विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी तथा उनकी सेवा शर्तें आदि

34. सेवा कार्मिक.

घ–सामान्य

35. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का अतिरिक्त कार्य.
36. अवकाश.
37. सेवानिवृत्त कर्मचारी की परिलब्धियां.

अध्याय पांच–पेंशन, भविष्य निधि, उपदान आदि।

38. योजनाएं.
39. पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि.
40. पेंशन निधि में अंशदान.
41. पेंशन निधि का आडिट.
42. सामान्य भविष्य निधि नियम.
43. सामान्य प्रावधान.
44. प्राधिकार.

अध्याय छः –भौतिक कार्यक्रम, प्रवेश, सम्पादन

क– अध्यापन का संगठन

45. शैक्षणिक कार्यक्रम–परिभाषाएँ.
46. विश्वविद्यालय कलैण्डर : शैक्षिक वर्ष, सेमेस्टर, वार्षिक कैलण्डर

ख– छात्रों का प्रवेश, सम्पादन

47. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के लिए अर्हताएं.
48. पूर्ववर्ती अध्ययनों तथा अनुभवों के लिए केडिट.
49. विद्यार्थियों के सम्पादन का मूल्यांकन.
50. विद्यार्थियों की परिवीक्षा, बर्खास्तगी.
51. विद्यार्थी के पाठ्यांतर क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय क्रियाकलाप, रोजगार.

ग– छात्रवृत्ति तथा ऋण निधियॉ, छात्र शुल्क

52. विश्वविद्यालय छात्रावृत्तियां तथा छात्र ऋण निधियां आदि :
53. छात्र शुल्क, रजिस्ट्रीकरण, पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला तथा अन्य

अध्याय सात–विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि तथा अवार्ड

54. स्नातक उपाधि, प्रकार तथा अपेक्षाएं.
55. उच्च उपाधियां, प्रकार तथा अपेक्षाएं.
56. मानद उपाधियां.
57. पत्रोपाधि (डिप्लोमा), मेडल तथा प्रमाण पत्र.
58. उपाधियों, पत्रोपाधियों आदि का वापस लिया जाना.

अध्याय आठ– विश्वविद्यालय से संबंधित संगठन

59. भूतपूर्व विद्यार्थी संगठन.

अध्याय नौ–कर्मचारियों की आवास व्यवस्था, छात्रावास तथा अन्य वास सुविधाएं

60. कर्मचारियों की आवास व्यवस्था तथा अन्य वास व्यवस्थाएं.
61. छात्रों के आवास गृह, केफेटेरिया तथा छात्रों के लिए अन्य वास व्यवस्थाएं.
62. छात्रों के लिये विश्वविद्यालय छात्रावास.

परिनियम

अध्याय एक–सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**–(1) ये परिनियम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग परिनियम, 2020 कहलायेंगे।

(2) ये अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्रं. 25., 2019);

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ग) शब्द और अभिव्यक्तियॉं, जो इन परिनियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

अध्याय–दो–विश्वविद्यालय के अधिकारी

क–अन्य अधिकारी

3. **अन्य अधिकारी.**– धारा 11 के खंड (1) से (6) में उल्लेखित आधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयाध्यक्ष भी एक अधिकारी होगा ।

ख– विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां

4. **अधिकारियों के पदों के लिये अर्हतायें.**– कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अपेक्षित अर्हताएं, यथास्थिति, मण्डल या समुचित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए नियत की जायेगी –

(क) रजिस्ट्रार, लेखा नियंत्रक एवं छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष (डीन) के मामले में प्रशासनिक परिषद् की; और

(ख) शेष अधिकारियों के मामले में, विद्या परिषद की,
विहित अर्हताओं को सम्यक् रूप से विज्ञापित किया जायेगा और चयन समिति इस प्रकार सम्यक् ध्यान रखते हुए, ऐसे पद के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

5. **अधिकारियों, अध्यापकों तथा सेवा कर्मियों की नियुक्ति के लिये चयन समितियॉं.–** किसी पद के रिक्त होने की प्रत्याशा में, कुलाधिपति तथा कुलपति से भिन्न अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के लिए कुलपति, एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें नीचे दर्शित सदस्य शामिल होंगे :–

	पद नाम (1)	चयन समिति का गठन (2)
(क)	अनुसंधान सेवाओं का निदेशक निदेशक विस्तार सेवाएं, निदेशक शिक्षण, सह निदेशक अनुसंधान, महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष, प्राध्यापक / सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक एवं अनुसंधान तथा विस्तार के समतुल्य पद	(एक) राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य। (दो) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेष सदस्य, जो भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। (तीन) शैक्षणिक / प्रशासनिक परिषद् का एक सदस्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। (चार–पांच) विश्वविद्यालय से बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (छः) संकायाध्यक्ष (डीन) या निदेशक, जो पद के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। (सात) कुलपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति–अध्यक्ष (आठ) कुल सचिव, सचिव होगा।
(ख)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष, महाविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष, तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) उद्यानिकी सहायक, फार्म अधीक्षक, डेरी प्रबन्धक, फोरमेन, महिला विस्तार अध्यापक, विस्तार	(1) अध्यक्ष –पद के स्वरूप के अनुसार कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। (2) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संकायाध्यक्ष / निदेशक / पुस्तकालयाध्यक्ष

	पद नाम (1)		चयन समिति का गठन (2)
	सहायक एवं समकक्ष गैर अध्यापक तकनीकी एवं फिल्ड स्टॉफ के पद		(3) संबंधित विभागाध्यक्ष (4–5) विश्वविद्यालय के बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगें।
(ग)	उप –कुलसचिव, सहायक लेखानियत्रंक, सहायक कुलसचिव, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी तथा ऐसे ही अन्य तकनीकी पद, संकायाध्यक्षों के संकायों के तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी तथा समतुल्य अन्य पद, जो उपर न आये हो।		(1) कुलपति (या उसका नामिती) –अध्यक्ष (2) कुलसचिव (3) लेखानियंत्रक (4–5) भरे जाने वाले पद की प्रकृति के अनुसार कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य (6) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय से संबंध न हो।
(घ)	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में लिपिकीय पद (अनुभाग अधिकारियों के पदों को छोड़कर)		(1) कुलसचिव (या उसका नामिती)–अध्यक्ष (2) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सहायक कुलसचिव (3) लेखानियंत्रक द्वारा उसके कार्यालय से नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी (4–5) कुलपति द्वारा किसी भी संकाय/संचालनालय/विभाग से नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी।
	टीप:– यह समिति, सेवा में प्रवेश के समय पदों पर नियुक्ति और उच्चतर पदों पर पदोन्नति से संबंधित कार्य करेगी।		
(ड.)	महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों आदि जैसी संस्थाओं में निम्न श्रेणी लिपिक, प्रयोगशाला सहायक जैसी सेवाओं में प्रवेश के समय लिपिकीय/तकनीकी पद		(1) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष /संस्था का भारसाधक अधिकारी – अध्यक्ष (2–3) जिस संस्था/विभाग में पद भरा जाना है उसके दो वरिष्ठ सदस्य, जो संबंधित संकायाध्यक्ष/निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे। (4) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/ भारसाधक अधिकारी द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट महाविद्यालय का

	पद नाम (1)	चयन समिति का गठन (2)
		अध्यापक या समतुल्य अधिकारी
(च)	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी पद (अलिपिकीय)	(1) कुलसचिव (या उसका नामिती) – अध्यक्ष (2) लेखानियंत्रक द्वारा उसके कार्यालय से नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी (3–4) कुलपति द्वारा किसी संकाय/संचालनालय/विभाग से नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी
	टीप :– यह समिति भी केवल सेवा में प्रवेश के समय पदों पर नियुक्ति और उच्चतर पदों पर पदोन्नति से संबधित कार्य करेगी।	
(छ)	लिपिकीय कर्मचारियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति (विश्वविद्यालय में सहायक के पद तक के सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए)	(1) कुल सचिव – अध्यक्ष (2) लेखानियंत्रक – सदस्य (3–4) दो अधिकारी, जो कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के भीतर से नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे। (5) विश्वविद्यालय से असंबद्ध एक अधिकारी, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
(**टीप**:– लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के समतुल्य वेतनमान वाले तकनीकी पदों पर पदोन्नति के मामले में, पदोन्नति समिति का अध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होगा।) **टीप**:– परिनियम कमांक 5 के खण्ड (क) से (छ) तक के अधीन प्रत्येक चयन समिति के लिये, सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या + एक से गणपूर्ति होगी।		

उपरोक्त उल्लेखित सभी चयन समितियों/पदोन्नति समितियों में नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों के बीच से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुसार कुलपति/कुलसचिव/लेखानियंत्रक द्वारा सदस्यों का नामांकन किया जायेगा। यदि फिर भी उक्त वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, तो कुलपति उक्त वर्गो के प्रतिनिधित्व हेतु समितियों में अतिरिक्त सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करेंगे। प्रत्येक चयन/पदोन्नति समिति के लिये, सदस्यों की कुल संख्या की आधी + एक से गणपूर्ति होगी।

6. चयन समितियों की प्रकिया .– (क) (एक) अधिनियम की धारा 11 तथा परिनियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति तथा कुलपति,

संकायाध्यक्ष के पदों को छोड़कर) तथा अध्यापकों (जो अधिनियम की धारा 2 (दस) में तथा परिनियम 3.1 में परिभाषित है) के सभी पद, चयन द्वारा भरे जायेंगे, जो कि अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से सर्वथा योग्यता के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी, जो कि विहित अर्हताएं रखते है, अन्य अभ्यार्थियों के आवेदनों के साथ–साथ उनके आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। तथापि, निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं निदेशक शिक्षण, महाविद्यालय के संकायाध्यक्षों तथा छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के पद, परस्पर अन्तरणीय होंगे, बशर्ते कि पद के लिये अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति की गई हो।

(दो) राज्य के उद्यानिकी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, अध्यापकों पुस्तकालयाध्यक्षों, पीटीआई और खेल अधिकारियों को उद्यानिकी शिक्षा में मानकों को बनाये रखने के लिए वेतन पुनरीक्षण और वेतन निर्धारण और अन्य मानदण्डों की योजना, समय–समय पर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सिफारिश पर राज्य सरकार, कृषि विभाग, मंत्रालय के आदेशों के अनुसार लागू होगी।

(तीन) अध्यापनेत्तर सेवाकर्मियों के पदों पर भर्ती के मामले में, जिसमें विश्वविद्यालय सेवा संबंधी विनियम में यथानिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारी सम्मिलित है (उनको छोड़कर, जो कि सेवा में प्रवेश के समय शीर्ष पर हो) रिक्त पदों की कुल संख्या के दो तिहाई पद, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और शेष एक तिहाई पद, सर्वथा योग्यता तथा विज्ञापन के आधार पर चयन द्वारा भरे जायेंगे, जिनमें नीचे उपखण्ड (ख) में अनुध्यात पद सम्मिलित नहीं है, या छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार कार्यालय द्वारा प्रत्यायोजित पात्र व्यक्तियों के नाम मंगाकर भरे जायेंगे। विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी, जो कि विहित अर्हताएं रखते हो, आवेदन करने के पात्र होंगे तथा अन्य अभ्यर्थियों के आवेदनों के साथ–साथ उनके आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। चयन साधारणतः या तो साक्षात्कार या प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर किया जाएगा, जैसा कि चयन समिति विनिश्चित करें।

परंतु यह कि

(ख) विज्ञापन के जरिए सीधी भर्ती के मामले में, विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की सर्वप्रथम एक समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी, जो कि कुलपति द्वारा गठित की जाएगी, जो उन आवेदकों के नामों की सिफारिश कुलपति को करेगी, जो कि पदों के लिए विचारार्थ विहित अर्हताओं की पूर्ति करते हों। संवीक्षा समिति, कुलपति से साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने के लिए उन अभ्यार्थियों के नामों की सिफारिश भी करेगी, जिनकी अर्हताएं चयन समिति द्वारा शिथिलीकरण की संभावनाओं के भीतर हो। पूर्वोक्त समिति द्वारा इस प्रकार सिफारिश किए गए तथा कुलपति द्वारा अनुमोदित किए गए आवेदक, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जायेंगे। प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक के पदों हेतु चयन के मामले में, चयन समिति, मण्डल द्वारा

समय–समय पर विहित रीति से स्वविवेक से ऐसे आवेदको की अभ्यर्थिता पर, जो कि साक्षात्कार की तारीख को विदेश में हो, उनकी अनुपस्थिति में भी विचार कर सकेगी।

चयन समिति, कुलपति को प्रत्येक रिक्त पदों के लिए तीन से अनधिक नामों की एक सूची, जिनमें नाम योग्यता के क्रम से रखे गए हो, की सिफारिश करेगी।

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, विश्वविद्यालय ऐसी प्रत्येक श्रेणी (ग्रेड) या सेवा के संबंध में, जिनमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी हो, उस श्रेणी या सेवा का अवधारण करेगा, जिससे ऐसी पदोन्नति की जा सके। चयन समिति, उस संबंधित श्रेणी या सेवा, जिससे पदोन्नति की जानी हो, के सभी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों, अर्हताओं तथा व्यावसायिक, उपलब्धियों आदि की संवीक्षा करेगी और प्रत्येक रिक्ति के लिए तीन के अनधिक नामों की एक सूची की सिफारिश करेंगी, जिसमें नाम, योग्यता सह वरिष्ठता के क्रम में होंगे।

7. नियुक्ति की प्रकिया.– (1) सिफारिश किए गए व्यक्तियों की योग्यता क्रमानुसार सूची जो परिनियम 6 (क), 6 (ख) तथा 6 (ग) के अनुसार तैयार की गई है, कुलपति द्वारा अपने स्वयं की अभिलिखित सिफारिशों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, सिफारिशों को स्वीकार और अनुमोदित कर सकेगा या सिफारिशों को अनुमोदित करने से इंकार करते हुए लिखित कारणों सहित लौटा देगा। ऐसे मामले में कुलपति परिनियम 6 (क), 6 (ख) तथा 6 (ग) के अनुसार योग्यता क्रम में सिफारिश किए गए व्यक्तियों की एक अन्य क्रमसूची नियुक्ति प्राधिकारी को सम्यक् अनुक्रम में प्रस्तुत करेगा।

(3) परिनियम 6 (क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, समुचित नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी आपात स्थिति में छः माह से अनधिक कालावधि के लिए तदर्थ नियुक्ति दे सकेगा। छः माह की कालावधि के पूरे हो जाने वाली ऐसी तदर्थ नियुक्ति के लिए, मण्डल का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

ग– कुलपति की परिलब्धियां, सेवा के निबन्धन तथा शर्तें और शक्तियां तथा कर्तव्य

8. कुलपति की परिलब्धियां, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें.–(1) (क) कुलपति राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा तथा असज्जित निवास स्थान पाने का भी हकदार होगा। जहॉ कुलपति के निवास स्थान को विश्वविद्यालय द्वारा सज्जित किया जाता है, वहां वह अपने निवास स्थान के फर्नीचर के लिए शासन द्वारा समय–समय पर शासकीय फर्नीचर के भाड़े के लिए विहित दर पर भाड़ा प्रभार का भुगतान करेगा। वह निःशुल्क वाहन का भी हकदार होगा ।

किन्तु यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति की तारीख को शासन या विश्वविद्यालय की सेवा में हो, तो उसे उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन + 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता या 5000 रूपये, जो भी कम हो, दिया जा सकेगा।

(ख) कुलपति, विश्वविद्यालय भविष्य निधि के लाभों का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही विश्वविद्यालय की सेवा में हो, कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपनी भविष्य निधि में अभिदान करते रहने की अनुज्ञा होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उतनी राशि तक सीमित होगा, जितनी वह कुलपति के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व अंशदान कर रहा था।

(2) कुलपति, ऐसा यात्रा भत्ता (टी.ए.) जो कि मण्डल द्वारा नियत यात्रा भत्ता नियमों में विहित हो, की दर से तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का भी हकदार होगा।

(3) (क) कुलपति, सक्रिय सेवा पर व्यतीत की गई कालावधि के 1/11 भाग के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश का हकदार होगा। वह अपने कार्यकाल के दौरान, जब कभी भी आवश्यक समझे, ऐसा अवकाश ले सकेगा और इसकी सूचना मण्डल को देगा :

परन्तु उसे देय अवकाश नब्बे दिनों का हो जाता है तो वह ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा। कुलपति, अर्जित अवकाश समर्पित करने तथा उसका नगदीकरण कराने और विश्वविद्यालय द्वारा उसके अधिकारियों को स्वीकृत सभी अन्य अवकाश सुविधाएं पाने का हकदार होगा।

(ख) उप खण्ड (क) में उल्लिखित अवकाश के अतिरिक्त, कुलपति, बीमारी के मामले में या निजी कार्यों के कारण अपनी कालावधि के दौरान तीन माह से अनधिक कालावधि का अवैतनिक अवकाश लेने का हकदार होगा, परन्तु लिया गया अवैतनिक अवकाश, बाद में उस सीमा तक पूर्ण वेतन अवकाश में अन्तरित किया जा सकेगा, जिस सीमा तक अवकाश उपरोक्त उप खण्ड (क) के अधीन देय हो गया है।

(4) **कुलपति की शक्तियॉं**–कुलपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी–

(क) विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजट के भीतर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय मंजूर करना, परन्तु वह विभिन्न विनियोजन इकाइयों के भीतर राशियों का पुनर्विनियोजन कर सकेगा;

(ख) विश्वविद्यालय नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, स्वयं के यात्रा भत्ता देयक तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक पर प्रतिहस्ताक्षर करना;

(ग) अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (3) के अनुसार अनुसूचित बैंक में विश्वविद्यालय की ओर से खाता खोलना और विश्वविद्यालय के किसी

आहरण तथा संवितरण अधिकारी को ऐसा खाता प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत करना;

(घ) यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करना तथा विश्वविद्यालय अधिकारियों को अधिकारिता से परे कर्तव्य की अनुपस्थिति मंजूर करना;

(ड.) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अवकाश मंजूर करना।

घ – कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परिलब्धियां, सेवा के निबंधन तथा शर्तें और शक्तियां तथा कर्तव्य

9. अन्य अधिकारियों की सेवा की शर्तें आदि.–(1) अधिनियमों के उपबन्धों तथा इसमें इसके पश्चात् बनाए गये परिनियमों के अध्ययीन रहते हुए, कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सेवा शर्तें वही होगी, जो कि अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित सेवा अनुबंध में सन्निहित हो।

(2) मंडल, यदि चयन समिति द्वारा इस प्रकार सिफारिश की गई हो तथा ऐसी सिफारिशों की स्वीकृति के लिये अभिलिखित किए गए कारणों से, इन परिनियमों द्वारा विहित आरंभिक वेतन से उच्चतर आरम्भिक वेतन मंजूर कर सकेगा, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को पांच से अधिक अग्रिम वेतन वृद्धियां नहीं दी जायेगी।

(3) खण्ड (1) में उल्लेखित सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होंगे और वे मण्डल द्वारा समय–समय पर अपने कर्मचारियों के लिये इस संबंध में यथा विहित अवकाश, अवकाश वेतन, भत्तो तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय के सेवा के बाहर से अभ्यर्थी की महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष तथा निदेशकों के पद पर नियुक्ति की जायेगी, उनकी नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष की कालावधि के लिए ही होगी एवं वह ऐसी शर्तो के अध्यधीन होगा जैसा कि कुलपति द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर अधिनियम की धारा 11 के अधीन उल्लिखित सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय सेवा से संबंधित विनियम में यथा परिभाषित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के अध्यापनेत्तर सेवा कार्मिक उस समय तक विश्वविद्यालय की सेवा में बने रहेंगे, जब तक वे 62 (बैसठ) वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

विश्वविद्यालय का अध्यापक, चाहे वह किसी भी पद नाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते है और उसमें ऐसा अध्यापक भी शामिल है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है और जो कम से कम बीस वर्ष तक

अध्यापन/अनुसंधान/प्रसार/विकास कार्य में लगा रहा हो, उस समय तक विश्वविद्यालय की सेवा में बना रहेगा, जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। प्रत्येक अध्यापक उस माह जिसमें कि वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, के अंतिम दिन में सेवानिवृत हो जायेगा, किन्तु कोई अध्यापक, जिसकी जन्मतिथि किसी माह की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत हो जाएगा।

(एक) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को लोक हित में या विश्वविद्यालय के हित में, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या अर्हकारी सेवा के 27 वर्ष हो जाने पर, कोई भी कारण बताये बिना, किसी भी समय, तीन माह की सूचना पर या ऐसी सूचना के बदले तीन माह का वेतन तथा भत्ते देकर, सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

(दो) क्रमशः 35/45/55 वर्ष की आयु पर प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा किया जायेगा, जिसमें संबंधित संकाय में विश्वविद्यालय के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ होंगे, राज्य शासन का एक प्रतिनिधि होगा और आईसीएआर का एक अधिकारी प्रतिनिधि होगा। मूल्यांकन के आधार पर उक्त समिति, संबंधित व्यक्तियों को सेवा में रखने या सेवानिवृत्त करने के बारे मे विनिश्चय करेगी।

उसी प्रकार कुलपति की अध्यक्षता मे प्रशासनिक अधिकारियों (सहायक कुल सचिव तथा उसके ऊपर के अधिकारी) के लिये एक मूल्यांकन समिति होगी। समिति के दूसरे सदस्य, राज्य शासन का एक प्रतिनिधि तथा संचालक उद्यानिकी होगा। संवीक्षा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर किया जायेगा।

(तीन) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः नियोजित हुए हो, विश्वविद्यालय सेवा में उसके पुनर्नियोजन की शर्तों तथा निबन्धनों द्वारा शासित होंगे, और

(चार) ऐसे पुनर्नियोजित व्यक्ति, 62 वर्ष की आयु से आगे विश्वविद्यालय की सेवा मे नहीं रहेंगे।

10 लेखा नियंत्रक–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.–(1) लेखानियंत्रक, राज्य शासन द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) धारा 19 की उप–धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त, लेखा नियंत्रक निम्नलिखित शक्तियों का भी प्रयोग करेगा, अर्थात :–

(क) वह वित्तीय अनुमान तैयार करने और अधिनियम की धारा (39) 33 के अधीन मंडल के समक्ष उसके प्रस्तुतीकरण के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(ख) वह आय तथा फीस प्राप्त करेगा, भुगतान का संवितरण करवाएगा तथा विश्वविद्यालय के दैनिक वित्तीय संव्यवहार के लिए और उसके उचित

लेखांकन के लिए तथा उससे संबंधित पत्र व्यवहार सहित सभी अनुषांगिक विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) वह विश्वविद्यालय के लेखाओं से संबंधित विषयों तथा वित्तीय विषयों, जिनके लिये वह प्रत्यक्षतः कुलपति के प्रति उत्तरदायी है, के बारे में ऐसी अन्य शक्तियों का, जैसी कि परिनियमों तथा विनियमों मे विहित हो या मण्डल या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, प्रयोग करेगा

(घ) वह अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (3) में परिकल्पित अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ, जैसा तथा जब अपेक्षित हो, मंडल की बैठक में उपस्थित होगा।

(3) विश्वविद्यालय को देय किसी राशि के लिये लेखा नियंत्रक की या मंडल द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति या किन्ही भी व्यक्तियों की रसीद, उसके लिये पूर्ण भुगतान होगी।

11.लेखा उपनियंत्रक, उसकी परिलब्धियां और शक्तियों तथा कर्तव्यों .– (1) लेखा उप नियंत्रक एक पूर्णकालिक वेतन प्राप्त अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति, संबंधित परिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुलपति द्वारा की जायेगी।

(2) लेखा उप नियंत्रक, राज्य शासन द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(3) लेखा उप नियंत्रक, ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनमें विश्वविद्यालय के लेखाओं तथा वित्त से संबंधित कृत्य कर्तव्य सम्मिलित है, जो कि उसे समय समय पर परिनियमों, विनियमों, शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा लेखा नियंत्रक तथा कुलपति द्वारा समुनिदेशित किये जाये तथा उसे समुनिदेशित ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों के संबंध में, लेखा उप नियंत्रक, संबंधित अधिकारी के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

12 कुलसचिव –उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.–(1) कुलसचिव राज्य शासन द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) कुलसचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होगेः–

(क) वह अधिनियम की धारा 41 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा तथा ऐसी अन्य संपत्ति, जो कि मंडल द्वारा उसके प्रभार में सुपुर्द की जाये, की अभिरक्षा करेगा;

(ग) वह मंडल, विद्या परिषद की और अधिनियम के अधीन नियुक्त किन्हीं भी समितियों या निकायों की, जिनमें कि वह सचिव के रूप मे कार्य करेगा, बैठकें आहूत करने वाली सूचनाएं जारी करेगा;

(घ) वह मंडल, विद्या परिषद तथा अधिनियम के अधीन नियुक्त किन्ही भी समितियों या निकायों की, जिनमें वह सचिव के रूप में कार्य करेगा, बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(ड) वह विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित विषयों तथा लेखा नियंत्रक के कर्तव्य की परिधि में आने वाले तदनुषंगी विषयों को छोड़कर, मंडल तथा विद्या परिषद का कार्यालयीन पत्र व्यवहार संचालित करेगा;

(च) वह विद्यार्थियों के प्रवेश तथा विद्यार्थियों के रूप में उनके जारी रहने से संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों का प्रशासन करेगा;

(छ) वह संकायों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए समय शेड्यूल तैयार करेगा और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों का प्रवेश आयोजन तथा निर्देशन करेगा तथा संकायों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अन्तरणों तथा पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों का अभिलेख रखेगा;

(ज) वह विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी का अभिलेख संधारित करेगा, जिसमें उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां, विद्यार्थी के रूप में आचरण और ऐसे सभी अन्य विषय शामिल होंगे, जिनका विद्यार्थी की उपलब्धियां तथा उसके आचरण से संबंध हो;

(झ) वह निदेशक, विस्तार सेवा द्वारा यथा अभिहित विश्वविद्यालयीन कार्यक्रमों में उपस्थित होने वाले गैर विद्यार्थियों के अभिलेख संधारित करेंगा;

(ञ) वह विश्वविद्यालय के स्नातकों के अभिलेख संधारित करेगा;

(ट) वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कि उसे कुलपति द्वारा, समय समय पर समनुदेशित किये जाएं, जिसके लिये वह उनके प्रति उत्तरदायी होगा;

13.संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य–(1) संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) वह अन्य विश्वविद्यालयीन अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के समन्वय से छात्रों के कल्याण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित क्लबों, मनोरंजन केन्द्रों, सहकारी समितियों आदि को सम्मिलित करते हुए विद्यार्थियों के लिये सभी पाठ्ययेत्तर क्रियाकलापों का आयोजना तथा निर्देशन करेगा;

(ख) वह छात्रावासों, भोजन व्यवस्था तथा अल्पाहारगृहों के प्रबंध का पर्यवेक्षण करेगा;

(ग) वह शारिरिक शिक्षा कियाकलापों, राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना तथा अन्य संबद्ध कियाकलापों के प्रभारी कर्मचारियों को सहयोग देगा;

(घ) वह संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से अनुशासन आदि बनाये रखने की दृष्टि से विद्यार्थी अनुशासनहीनता, अत्यधिक अनुपस्थिति तथा विद्यार्थियों की अन्य अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही करेगा;

(ड.) वह विद्यार्थियों के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सुविधाओं का पर्यवेक्षण करेगा;

(च) वह छात्रवृत्तियों, शिष्यवृत्तियों, अंशकालिक रोजगार तथा अन्य ऐसी सहायता, जो कि विद्यार्थियों के कल्याण के लिये आवश्यक प्रतीत हो, की व्यवस्था करेगा;

(छ) वह विद्यार्थियों के कल्याण के संबंध में विद्यार्थियों के संरक्षकों से सम्पर्क करेगा;

(ज) वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(झ) वह विश्वविद्यालय में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थियों के रोजगार के मामलों मे रोजगार ब्यूरो को सहयोग तथा सहायता देगा।

14. निदेशक अनुसंधान सेवाएं –उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.– (1) निदेशक अनुसंधान सेवाएं, राज्य शासन द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) निदेशक अनुसंधान सेवाएं की नियुक्ति ऐसी शर्तो पर की जायेगी, जैसा कि मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(3) निदेशक अनुसंधान सेवाएं के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) वह विद्यार्थियों द्वारा उपाधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा अध्यापन योग्यता मे सुधार के लिये किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों को छोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान कार्य का आयोजन एवं संचालन पर समग्र नियंत्रण का प्रयोग करेगा;

(ख) वह विश्वविद्यालय द्वारा यथा अपेक्षित अनुसंधान सेवा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजट अनुमान तैयार करेगा;

(ग) वह अनुसंधान सेवा के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रमों में लगे हुए महाविद्यालयीन कर्मचारियों के सदस्यों का पर्यवेक्षण करने मे संबंधित संकायाध्यक्ष की सहायता करेगा;

(घ) वह अनुसंधान परिणाम का संकलन एवं अनुसंधान निष्कर्षों के समुचित प्रकाशन करवायेगा तथा पर्यवेक्षण करेगा;

(ड) वह संबंधित संकायाध्यक्षों के परामर्श से ऐसे सामान्य प्ररूप में तथा ऐसी संख्या में, जैसा कि अवधारित किया जाये, अनुसंधान पाण्डुलिपियों को प्रकाशन के लिये अनुमोदित करेगा;

(च) वह सभी प्रकाशन की अंक संख्या समानुदेशित करेगा तथा सभी प्रकाशन का अधिकृत अभिलेख रखेगा;

(छ) वह अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(ज) वह अध्यापन कार्य करेगा;

(झ) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों, विनियमों द्वारा या मंडल के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त किये जाये या उस पर अधिरोपित किये जाएं।

15. निदेशक, विस्तार सेवाएं–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.– (1) निदेशक विस्तार सेवाएं, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) निदेशक विस्तार सेवाएं की नियुक्ति ऐसी शर्तो पर की जायेगी, जैसा कि मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(3) निदेशक विस्तार सेवाएं के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:–

(क) वह ऐसे कैम्पस के भीतर तथा कैम्पस के बाहर होने वाले कृषक तथा ग्रामीण परिवार अंर्तवलित शैक्षणिक कार्य पर समग्र नियंत्रण का प्रयोग करेगा;

(ख) वह विस्तार योजना के संबंध में कृषकों तथा अन्य गैर विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये वार्षिक कार्यक्रम तथा बजट आवश्यकताएं तैयार करेगा;

(ग) वह विस्तार शिक्षा के विभिन्न रूपों में पाठ्यक्रमों का विकास करने में तथा छात्रों को पढ़ाने मे संकायाध्यक्षों की सहायता करेगा;

(घ) वह कृषि सहकारी संस्थाओं के साथ कैम्पस से बाहर कार्यक्रमों तथा ग्रामीण युवा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगा;

(ड) वह महाविद्यालय को समुनिदेशित या संबद्व विस्तार विशेषज्ञों और कर्मचारीवृंदों के ऐसे अन्य सदस्यों का, जो विस्तार कार्य में लगे हो, पर्यवेक्षण करेगा तथा विस्तार कार्य का मार्गदर्शन करेगा;

(च) वह विस्तार कार्यक्रम के बेहतर विकास के लिए प्रकाशन, फिल्म आदि जैसी सामग्रियो को तैयार करने के कार्य का निर्देशन करेगा;

(छ) वह विश्वविद्यालय विस्तार सेवाओं के भाग के रूप में किसी भी सामग्री का वितरण करेगा;

(ज) वह अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(झ) वह अध्यापन कार्य करेगा;

(ञ) वह ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा, जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा तथा मंडल के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त किए जाए या उस पर अधिरोपित किये जाये।

16. निदेशक शिक्षण –उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.– (1) निदेशक शिक्षण, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) निदेशक शिक्षण की नियुक्ति ऐसे शर्तों पर की जाएगी, जैसा कि मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(3) निदेशक शिक्षण के निम्नलिखित कर्तव्य होगे :–

(क) वह विश्वविद्यालयों के सभी संकायों और संबद्ध विषयों में शिक्षा का समग्र प्रभारी होगा;

(ख) वह संबंधित संकायाध्यक्षों के परामर्श से पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या की रचना, विकास, मूल्याकंन तथा सुधार करेगा तथा विद्यार्थियों के व्यवसायिक सक्षमता, चरित्र तथा नेतृत्व के गुण को विकसित करने के लिए अभिकल्पित अध्यापन प्रक्रिया का विकास करेगा;

(ग) वह विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों में अध्यापन तथा परीक्षा का एक समान मानक सुनिश्चित करेगा;

(घ) वह अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा की एक एकीकृत पद्धति का विकास करेगा तथा विभिन्न संकायों के अध्यापन कार्यों का समन्वय करेगा;

(ड.) वह संघटक महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों/फार्मो के शैक्षिक कर्मचारियों को सेवान्तर्गत तथा स्नाकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का प्रबंध करेगा;

(च) वह स्नातकोत्तर उपाधियों की अपेक्षाओं की तैयारी में विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्य की योजना तथा समन्वय पर समग्र नियंत्रण का प्रयोग करेगा;

(छ) वह सुसंगत महाविद्यालयीन संकाय के साथ, जिसमें स्नातकोत्तर छात्र अध्ययन कर रहे हों, समन्वय करेगा, जिससे ऐसी उपाधियों संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति उचित रीति से हो;

(ज) वह अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(झ) वह अध्यापन कार्य करेगा।

17. संकायाध्यक्षों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.–(1) संबंधित संकायाध्यक्ष तीन वर्षों की कालावधि के लिये संकाय के महाविद्यालयीन संकायाध्यक्षों में से ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जैसा कि कुलपति की सिफारिशें पर कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किये जाये। सेवा की आवश्यकता तथा प्रशासन की सुविधा पर निर्भर रहते हुए इस कालावधि को घटाने (कम) करने की शक्ति कुलपति को होगी।
(2) संकायाध्यक्ष, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष (डीन ऑफ फैकल्टी) –

(क) संकाय का अध्यक्ष होगा तथा संकाय की नीतियों के प्रशासन तथा निष्पादन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(ख) परिनियम तथा संकाय से संबंधित अन्य विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा;

(ग) किसी भी सदस्य के संकाय के समक्ष कोई भी विषय प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाल डाले बिना, नीतियों की विरचना करेगा तथा उन्हें संकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा;

(घ) संकाय में अध्यापन/अनुसंधान/विस्तार/पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम रूपरेखाओं/परीक्षाओं/पंजीयन तथा प्रवेश आदि संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों से संबंद्ध विषयों का गठन करने, सलाह देने, मार्गदर्शन करने तथा संचालन करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में कुलपति तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा;

(ड.) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों, महाविद्यालयों, छात्रों तथा जनता के साथ संकाय के सभी शासकीय कार्य के लिये सम्पर्क के माध्यम के रूप में कार्य करेगा;

(च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि उसे कुलपति द्वारा समुनिदेशित किया जाए।

18. महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन)–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.– (1) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन), राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) की नियुक्ति परिनियम 6 (क) (एक) के अनुसार की जाएगी।

(3) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे –

(क) वह महाविद्यालय पर, जिसका कि वह प्रशासनिक तथा शैक्षिक प्रमुख है, उसके सभी कर्मचारियों, छात्रों, कियाकलापों, सुविधाओं तथा उसमें उपगत व्ययों के संबंध में समग्र नियंत्रण का प्रयोग करेगा;

(ख) वह महाविद्यालय के कर्मचारी वर्ग के अध्यापन, अनुसंधान तथ विस्तार कार्य का पर्यवेक्षण करेगा तथा महाविद्यालय के सभी छात्रों के कार्य तथा आचरण के लिये उत्तरदायी होगा;

(ग) वह संबंधित संकायाध्यक्ष तथा संचालक के माध्यम से इस परिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(घ) उस महाविद्यालय के संबंध में, जिसका कि वह संकायाध्यक्ष (डीन) है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित या समनुदेशित किया जाये तथा अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार आदि से संबंधित सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक विषयों के लिये संकायाध्यक्ष तथा निदेशक के माध्यम से उत्तरदायी होगा;

(ड.) वह अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य करेगा;

(च) वह परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा;

(छ) वह अपने महाविद्यालय में विद्यार्थियों के पंजीकरण तथा उनकी प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वह अपने महाविद्यालयों से संबंधित शैक्षिक विषयों पर नीतियॉ तैयार करेगा तथा उसे संकायाध्यक्ष/निदेशक शिक्षण के माध्यम से संकाय/विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा;

(झ) वह महाविद्यालय से संलग्न अनुसंधान केन्द्र/शिक्षण फार्म/संस्थाओं के उचित प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा;

(ञ) वह महाविद्यालय से संलग्न अनुसंधान केन्द्र/प्रशिक्षण फार्म तथा अन्य संस्थाओं की भूमियों, भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा महाविद्यालय की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति के उपयोग तथा रखरखाव के लिये संबंधित प्राधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायी होगा;

(ट) वह महाविद्यालयों के छात्रावासों के रखरखाव, पर्यवेक्षण तथा कार्यकरण के लिये उत्तरदायी होगा;

(ठ) वह भंडार सामग्रियों, उपकरणों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को उपाप्त करने के लिये उत्तरदायी होगा, जो कि महाविद्यालय तथा उससे संलग्न इकाइयों के लिये आवश्यक होगा;

(ड) वह उसके अधीन आने वाली संस्थाओं में उच्च स्तरीय अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ढ) वह उसके अधीन आने वाली संस्थाओं का उच्च स्तरीय वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ण) वह महाविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों से संबंधित सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों का समन्वित आधार पर संचालन करने के लिये संकायाध्यक्ष की सहायता करेगा;

(त) वह महाविद्यालयीन कार्यकलापों के लिये प्रस्ताव तथा उसकी आवश्यकताओं संबंधी बजट अनुमान तैयार करेगा और कुलपति के माध्यम से लेखा नियंत्रक के प्रति इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि सभी महाविद्यालयीन कार्यकलाप, समुचित प्राधिकारियों के मंजूरी के अनुसार है;

(थ) (एक) वह उसके अधीन आने वाली संस्थाओं के विस्तार कार्य के लिये योजनाओं को विकसित करने तथा बजट तैयार करने में निदेशक विस्तार सेवाएं की सहायता करेगा;

(दो) वह सूचनात्मक सामग्रियों के विकास के विस्तार सेवाओं की सहायता करेगा;

(तीन) वह महाविद्यालयीन कर्मचारीवृन्द द्वारा किए जाने वाले विस्तार शिक्षा कार्य का निर्देशन करेगा;

(द) वह निदेशक शिक्षण की सहायता करेगा तथा अपने महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के कार्य का निर्देशन करेगा;

(थ) वह महाविद्यालय को समनुदेशित भवनों तथा कमरों के शैक्षणिक उपयोग के लिये तथा महाविद्यालय के सामान्य उपकरणों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(न) वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों या विनियमों द्वारा या कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त किया जाये या उस पर अधिरोपित किया जाये।

19. विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष–उसकी परिलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.– (1) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:–

(क) वह विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों का रख–रखाव, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगा और उनकी सेवाओं का संगठन ऐसी रीति से करेगा

कि वे अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की आवश्यकताओं के लिये अत्यंत लाभप्रद हों;

(ख) वह विश्वविद्यालय के अधीन आने वाली सभी पुस्तकालयों के विकास तथा प्रचालन के लिए वार्षिक बजट तैयार करेगा;

(ग) पुस्तकें खरीदने तथा छात्रों और कर्मचारीवृन्द के बीच उनका वितरण करने के लिए संकायाध्यक्षों तथा निदेशकों से सिफारिशें प्राप्त करेगा तथा उनका समन्वय करेगा;

(घ) वह विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के स्थान में सुधार की आवश्यकता पर लेखा नियंत्रक को सिफारिश करेगा;

(ड.) वह पुस्तकालय तथा उसमें सुधार से संबंधित ऐसे सभी कार्य करेगा, जैसा कि कुलपति द्वारा अपेक्षित किया जाये।

स्पष्टीकरण – इस परिनियम के प्रयोजन हेतु "विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों" में विश्वविद्यालय कैम्पस के पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों तथा संस्थाओं से संलग्न सभी पुस्तकालय सम्मिलित है।

टीप – कुलपति, पूर्वगामी परिनियमों या इसमें इसके पश्चात उल्लिखित किसी भी अन्य परिनियम में उल्लिखित किसी भी अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने स्वयं के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, अन्य कृत्यों का निर्वहन करे।

अध्याय तीन– विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

20. मंडल.–(1) कुलपति, अधिनियम की धारा 26 के उपबंधों के अनुसार, अधिसूचना द्वारा, मंडल का गठन करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (4) में अधिकथित अनुसार मंडल के यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न), अधिनियम की धारा 55 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। यह अवधि उस तारीख को आरंभ होगी, जिस तारीख को उनका नाम निर्देशन या निर्वाचन प्रकाशित हो।

21. विद्या परिषद्.–विद्या परिषद विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्राधिकरण होगा तथा वह अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान, विकास, विस्तार एवं परीक्षाओं पर नियंत्रण रखेगा एवं सामान्य नियमन करेगा तथा उसका स्तर बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

1. विद्या परिषद का गठन :

(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे अर्थात :–

(अ) पदेन सदस्य –

(क) कुलपति;

(ख) सभी निदेशकगण;

(ग) संकाय के सभी अधिष्ठाता (डीन);

(घ) महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता (डीन);

(ड.) कुलसचिव।

(ब) अन्य सदस्य –

(क) विभागाध्यक्षों के बीच से पांच से अनधिक सदस्यों को चक्रानुक्रम आधार पर कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ख) उद्यानिकी विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ज्ञान अथवा प्रायोगिक अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति, जिन्हें कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) विद्या परिषद् विनियमों द्वारा, संकाय के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न संकायों के पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम के विकास तथा विश्वविद्यालय की उपाधि की अपेक्षाओं का उपबंध करेगी। ऐसे विनियमों में यह भी उपबंधित होगा कि संकाय के प्रस्ताव, विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे।

(3) कुलपति, विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कुलसचिव, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा।

(4) पदेन सदस्यों को छोड़कर, विद्या परिषद् के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(5) विद्या परिषद् के सदस्यों को ऐसे सभा शुल्क, दैनिक अथवा यात्रा भत्ते, जैसा कि विहित किया जाए, को छोड़कर, विश्वविद्यालय से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(6) विद्या परिषद के पदेन सदस्यों को छोड़कर, कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है एवं ऐसे त्यागपत्र के संबंध में, सदस्य द्वारा लिखित में पत्र द्वारा कुलपति को अवगत कराया जायेगा तथा वह त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा।

22. संकाय.– (1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात :–

(एक)फल विज्ञान संकाय.

(दो) सब्जी विज्ञान संकाय.

(तीन) पुष्प एवं भू–दृश्य वास्तुकला विज्ञान संकाय.

(चार) रोपण फसलें, मसाला, औषधि एवं सुगंधित विज्ञान संकाय.

(पांच) फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विज्ञान संकाय.

(छः) वानिकी संकाय.

(सात) ऊपर उल्लेखित विषयों से भिन्न प्रत्येक ऐसे विषय का संकाय, जिसके लिये कोई नई संस्था खोली गई हो या छात्रों को शैक्षिक उपाधियों के लिये अर्ह बनाने के लिए, उसी प्रकार की अन्य संकायें खोली गई हो।

(2) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :–
(क) संकायाध्यक्ष– अध्यक्ष.

(ख) महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष (डीन).

(ग) संकाय में अध्ययन के सभी विभागाध्यक्ष.

(घ) सभी प्राध्यपक (प्रोफेसर) तथा छः अनुसंधान विशेषज्ञ तथा तीन विस्तार विशेषज्ञ, जो कि विश्वविद्यालय की सेवा में नियोजित हों, जिन्हें निदेशक अनुसंधान/निदेशक विस्तार के परामर्श से संकायाध्यक्ष द्वारा अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे;

(ङ) एक सह प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) और यदि सह प्राध्यापक न हो तो प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के लिए वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में संकाय के प्रत्येक विभाग से एक सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर).

(च) निदेशक अनुसंधान सेवाएं.

(छ) निदेशक विस्तार सेवाएं.

(ज) निदेशक शिक्षण.

(झ) दो से अनधिक सदस्य, जो कि विश्वविद्यालय के नियोजन में न हों, जिन्हे संकायाध्यक्ष दो वर्ष की कालावधि के लिए सहयोजित कर सकेगा.

(ञ) अन्य संकायों में से प्रत्येक संकाय से एक सदस्य, जिन्हें संकायाध्यक्ष (डीन) संबंधित संकाय के अध्यक्ष के परामर्श से ऐसी कालावधि के लिए सहयोजित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) प्रत्येक संकाय, अपने संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक संकाय, एक महाविद्यालय संगठनात्मक योजना तैयार करेगा, जिसमें ऐसे विभागों की व्यवस्था होगी, जो कि सर्वोत्तम माने जाये और महाविद्यालय द्वारा तथा प्रत्येक ऐसी संकाय में समाविष्ट विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य की व्यापकता परिभाषित की जायेगी। किसी संकाय के प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा विचार किया जायेगा और यदि उसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो

मंडल को विचारार्थ अग्रेषित कर दिया जायेगा। परिषद् और/या मंडल द्वारा चाहे गए कोई भी परिवर्तन, संकाय को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक संकाय अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रश्न पर या विद्या परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी भी विषय पर विचार करेगा तथा विद्या परिषद् को ऐसी सिफारिशें करेगा, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(6) विद्या परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महाविद्यालयीन पाठ्यचर्याएं तथा पाठ्क्रम रूप रेखाएं विकसित करेगा तथा अध्यापन, प्रयोगशालाएं या क्षेत्रगत अनुभवों तथा शिक्षा प्राप्ति के अन्य अवसरों की व्यवस्था करेगा और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान तथा विस्तार कियाकलापों में भाग लेगा।

(7) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक संकाय महाविद्यालयों में तथा संकाय के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश की विस्तृत शर्तें विहित करेगा, महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रगति तथा उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए मानक तैयार करेगा तथा विद्यार्थी, जो महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने में विफल रहे हों, को बर्खास्त करने की सिफरिश करेगा।

(8) संकाय मंडल को यह सिफारिश करेगा कि उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने संकाय तथा विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की संतोषजनक रीति से पूर्ति की हो, उपाधि प्रदान की जाये।

(9) परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए, संकाय –

(क) कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों, जो कि महाविद्यालय के विद्यार्थी न हो, के लिए प्रशिक्षण की आयोजनाओं के विकास के लिए विस्तार सेवाओं में सहायता करेगा तथा उन व्यक्तियों,, जो कि विहित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों, को पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र तथा अन्य मान्यता जारी करने के लिए निदेशक, विस्तार सेवा को, सिफारिश करेगा; तथा

(ख) कृषकों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के उद्देश्य से अनुसंधान कार्य के संचालन की योजनाओं के विकास में अनुसंधान सेवा की सहायता करेगी।

23. अन्य प्राधिकरण.– धारा 25 के खंड (एक) से (तीन) तक में उल्लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(1) प्रशासनिक परिषद्.
(2) शिक्षा विस्तार परिषद्.
(3) अनुसंधान परिषद्.
(4) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्.

24. प्रशासनिक परिषद्.– (1) प्रशासनिक परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति–अध्यक्ष.
(ख) लेखा नियंत्रक.
(ग) कुल सचिव–सचिव.
(घ) सभी संकायाध्यक्ष.
(ङ) महाविद्यालयों के दो संकायाध्यक्ष (डीन), जो कि कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.
(च) निदेशक अनुसंधान सेवायें.
(छ) निदेशक विस्तार सेवायें.
(ज) प्रत्येक संकाय से दो विभागाध्यक्ष, जो वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में एक वर्ष के अवधि के लिये नामांकित किये जायेंगे.
(झ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.

(2) प्रशासनिक परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह शैक्षिक पहलुओं संबंधी विषयों को छोड़कर, ऐसे विषयों पर, जिनका विश्वविद्यालय से संबंध हो, जो कि उसे मंडल, कुलपति, विद्या–परिषद् या संकायों द्वारा निर्दिष्ट किये जाये, कुलपति को सिफारिश करे।

25. शिक्षा विस्तार परिषद्.– (1) शिक्षा विस्तार परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :–

(क) निदेशक विस्तार सेवायें–अध्यक्ष.
(ख) सभी संकायाध्यक्ष (डीन आफ फेकल्टी) तथा सभी महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष (डीन)–महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों में एक संकायाध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाये, उसके (परिषद् के) सचिव के रूप में कार्य करेगा.
(ग) निदेशक अनुसंधान सेवायें.

(2) शिक्षा विस्तार परिषद्, निदेशक विस्तार सेवाएं के प्रति उत्तरदायी होगी और ऐसे सभी विषयों, जो कि विस्तार सेवा से संबंधित हो, पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिश करेगी –

(क) महाविद्यालयीन छात्रों का प्रशिक्षण.
(ख) उद्यानिकी ग्रामीण जीवन विस्तार सेवा.
(ग) कृषकों के लिये शिक्षा सामग्री तैयार करना.
(घ) गैर छात्रों के लिये अल्पकालीन पाठ्यक्रम संचालित करना.
(ङ) कृषकों के लाभ के लिये क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम.
(च) उद्यानिकी उत्पादन का विकास तथा सहकारी संस्थायें बनाना.
(छ) उद्यानिकी के विकास के लिये सामग्री तैयार करना जैसे प्रकाशन फिल्में आदि, जिससे विस्तार कार्य का बेहतर विकास हो.

26. अनुसंधान परिषद्.– (1)अनुसंधान परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :–

(क) निदेशक अनुसंधान सेवायें–अध्यक्ष.
(ख) सभी संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष (डीन).
(ग) निदेशक विस्तार सेवायें.
(घ) पुस्कालयाध्यक्ष.
(ङ) दो से अनधिक ऐसे अन्य विभागाध्यक्ष, जो कि निदेशक अनुसंधान सेवायें द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे.
(च) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष, जो कि निदेशक अनुसंधान सेवाएं द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा–सचिव.

(2) अनुसंधान परिषद, निदेशक अनुसंधान सेवाएं के प्रति उत्तरदायी होगी और वह विश्वविद्यालय में उद्यानिकी अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों पर और विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी–

(क) उद्यानिकी ग्रामीण जीवन अनुसंधान सेवा;
(ख) उद्यानिकी के विकास के लिए सामग्री तैयार करना जैसे प्रकाशन, फिल्मे आदि, जिसमें अनुसंधान का बेहतर विकास हो सके।

27. स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद.– (1) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे अर्थात्:–

(क) संकायाध्यक्ष, जो कि कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा–अध्यक्ष.
(ख) सभी संकायाध्यक्ष.
(ग) सभी महाविद्यालयीन संकायाध्यक्ष (डीन).
(घ) निदेशक अनुसंधान सेवाएं.
(ङ) निदेशक विस्तार सेवाएं.

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद, विद्या परिषद के समग्र पर्यावलोकन के अंर्तगत कार्य करेगी, किन्तु निदेशक शिक्षण के प्रति उत्तरदायी होगी और वह स्नातकोत्तर अध्ययनों से संबंधित सभी विषयों पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी:

(क) महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विकास करना तथा उसमें प्रवेश के मानक निर्धारित करना;
(ख) स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए पाठ्यक्रम, अनुसंधान तथा अन्य अपेक्षाएं विहित करना;
(ग) स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए संबंधित संकायाध्यक्षों की सहमति से स्नातकोत्तर उपाधियों के अभ्यर्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना;
(घ)ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जैसा कि मंडल तथा कुलपति द्वारा समानुदेशित किया जाये।

28. विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों की समितियॉ.– (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे समानुदेशित कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक समिति में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य या सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द के ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जा सकेगा, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नियुक्त करना उचित समझा जाए।

29. प्राधिकरणों के सदस्यों को देय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता.—इन प्राधिकरणों के या उनकी किन्हीं भी समितियों के सदस्यों को प्राधिकरण की या उसकी किन्ही भी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिये ऐसी दरों पर, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि मंडल विनियमों द्वारा अवधारित करे।

अध्याय चार—विश्वविद्यालय के कर्मचारी

क— विश्वविद्यालय के अध्यापक

30. विश्वविद्यालय के अध्यापक— (1) विश्वविद्यालय के अध्यापक या तो—

(क) शिक्षण प्रदान करने के लिए और/या अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रमों का संचालन तथा मागदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय से वेतन पाने वाले—

(एक) प्राध्यापक,

(दो) सह प्राध्यापक,

(तीन) सहायक प्राध्यापक,

के रूप में विश्वविद्यालय के सेवक होंगे, या

(ख) ऊपर उल्लेखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग में ऐसी शर्तो तथा ऐसे निबंधनों पर, जैसा कि मंडल विनियमों द्वारा विहित करे, मानसेवी अध्यापकों के रूप में मंडल द्वारा नियुक्त होंगे।

(2) कोई अध्यापक, शिक्षण प्रदान करने के लिए और/या अनुसंधान तथा/या विस्तार कार्यक्रम का संचालन या मार्गदर्शन करने के लिये केवल उसी मानक तक पात्र होगा, जिसके लिये मंडल द्वारा इस संबंध में बनाये गये विनियमों के अनुसार उसे इस रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(3) अध्यापक ऐसे कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विद्या परिषद् विनियमों द्वारा विहित करे।

(4) जहां कहीं भी शब्द "अध्यापक/अध्यापकों" आए हों, वहां उसमें/उनसे अनुसंधान तथा विस्तार क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

31. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अर्हताएं.—मंडल के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद्, विनियमों द्वारा, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अर्हताएं विहित करेगी।

32. अध्यापकों के वेतनमान एवं उनके सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें.– (1) विश्वविद्यालय के वेतन भोगी अध्यापक, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित वेतन प्राप्त करेगाः–

(एक) प्राध्यापक / समकक्ष
(दो) सह–प्राध्यापक / समकक्ष
(तीन) सहायक प्राध्यापक / समकक्ष

(2) चयन समिति द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों पर, जो कि लिखित कारणों द्वारा समर्थित हो, कुलपति, लेखा नियंत्रक के परामर्श से, ऐसी उच्चतर आरंभिक वेतन मंजूर कर सकेगा।

(क) जो कि उस पद, जिस पर नियुक्ति की जानी हो, के वेतनमान में आरम्भिक वेतन से सात अग्रिम वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगा; या

(ख) पहले से ही नियोजित अभ्यर्थी के मामले में, उसे अन्यत्र प्राप्त हो रहे वेतन की पांच अग्रिम वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगा और यदि उसका उक्त वेतन, पद के वेतनमान की किसी भी प्रक्रम का तत्स्थानी न हो, तो उक्त वेतनमान में, अभ्यर्थी को पहले से ही प्राप्त हो रहे वेतन के ठीक नीचे के प्रक्रम से अधिक नहीं होगा।

टीप –ऐसे सभी मामले, जिनमें (क) तथा (ख) के अधीन अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर की जाती है, नियुक्ति की तारीख से चार माह के भीतर मंडल को सम्यक् रूप से प्रतिवेदित किये जायेंगे।

(3) अधिनियम तथा इन परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वे ही होंगी, जो कि अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित सेवा अनुबंध में सम्मिलित है।

(4) विश्वविद्यालय के सभी वेतन भोगी अध्यापक, पूर्णकालिक अध्यापक होंगे और ऐसे अवकाश, अवकाश–वेतन, भत्तो तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे, जैसा कि मंडल द्वारा इस संबंध में अपने कर्मचारियों के लिये समय–समय पर विहित किया जाये।

(5) जहां कहीं भी शब्द "अध्यापक" आया हो, वहां उसमें अनुसंधान तथा विस्तार कियाकलापों में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित है।

ख– विभागाध्यक्ष, अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष तथा क्षेत्र विस्तार इकाई के अध्यक्ष.

33. विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य आदि.– चूंकि विभाग, संकाय के अंतर्गत ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की प्राथमिक ईकाई है, इसलिये विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य निम्नानुसार होंगेः–

(क) वह विभाग में अध्यापन के प्रायोजन के लिये तत्संबंधी कार्य की गुणवत्ता तथा दक्षतापूर्ण प्रगति के लिए तथा विभाग को प्रभावी बनाने वाली

विभागीय नीतियों को तैयार करने तथा निष्पादित करने के लिए संकायध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ख) वह विभाग के अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य पर संबंधित महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष को प्रतिवेदन देगा तथा उसकी प्रतियां अन्य महाविद्यालय के संकायाध्यक्षों तथा संकायाध्यक्ष (डीन) को भेजेगा।

(ग) वह विभाग में छात्रों के कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(घ) वह विभागीय बजट तैयार करेगा और विभागीय निधियों के वितरण तथा व्यय के लिये तथा विभागीय संपत्ति की देखभाल के लिये उत्तरदायी होगा।

(ड.) वह नीतियों, शैक्षणिक प्रक्रियाओं तथा अनुसंधान पर चर्चा के लिये नियमित रूप से विभागीय कर्मचारीवृन्द की बैठकें बुलाएगा तथा विभाग के कर्मचारियों एवं विभाग के भारसाधक को कार्य के स्वरूप तथा क्षेत्र के बारे में सूचित करेगा।

(च) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि निदेशक अनुसंधान तथा निदेशक विस्तार द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये या सौंपा जाये और वह संकायाध्यक्ष के माध्यम से उस अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसकी/जिसके शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन उसके द्वारा किया जाता हो।

ग–विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी तथा उनकी सेवा की शर्तें आदि.

34. सेवा–कार्मिक.– विश्वविद्यालय, इसमें इसके पूर्व उल्लेखित कर्मचारियों से भिन्न ऐसे अन्य सेवा कार्मिकों को नियोजित करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के निष्पादन के लिये समय–समय पर आवश्यक हो। ऐसे सेवा कार्मिकों के वेतनमान, भर्ती हेतु अर्हताएं, उनकी सेवा की शर्तें तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा कि मंडल द्वारा विहित किया जाये। ऐसे सेवा कार्मिक, विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होंगे तथा उनके प्रति उत्तरदायी होंगे, परन्तु दण्ड तथा सेवा शर्तों के प्रतिकूल प्रयुक्ति के विरूद्ध अपील, नियुक्ति प्राधिकारी के ठीक उच्चतर प्राधिकारी को की जायेंगी।

घ– सामान्य

35. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का अतिरिक्त कार्य.– (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारी, उनके नियमित विहित कर्तव्यों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के लिये किये गए कार्य के लिये अतिरिक्त प्रतिकर का यदि मंजूर किया जाये, ऐसी दर पर, जैसा

कि कर्मचारियों के संबद्ध वर्ग के लिये इसमें दर्शाये गये प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, हकदार होगा :–

अधिकारी	–	मंडल
अध्यापक	–	कुलपति
सेवा कार्मिक	–	लेखा नियंत्रक

(2) विश्वविद्यालय का कर्मचारी (जिसमें अधिकारी, अध्यापक या सेवा कार्मिक सम्मिलित है), विश्वविद्यालय के बाहर किसी भी ऐसे कियाकलाप में संलग्न नहीं होंगे, जिससे विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हितों की क्षति होती हो या क्षति होने की संभावना हो। इस प्रकार के किसी भी कियाकलाप के औचित्य के प्रश्न पर, इसमें दर्शाए गये प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा। यदि किसी कियाकलाप को, विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित के प्रतिकूल पाया जाए, तो प्राधिकरण, कुलपति के माध्यम से, मंडल को सिफारिश करेगा कि कर्मचारी, ऐसे कियाकलाप में संलग्न न रहे या उसमें संलग्न रहना छोड़ दे। इस विषय में मंडल का विनिश्चय अंतिम होगा तथा कर्मचारी को लिखित रूप में संप्रेषित किया जायेगा :–

अधिकारी	–	प्रशासनिक परिषद्
अध्यापक	–	विद्यापरिषद्
सेवा कार्मिक	–	प्रशासनिक परिषद्

(3) विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी, इन परिनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अतिरिक्त पारिश्रमिक का पात्र नहीं होगा।

36. अवकाश.– जब तक मंडल अवकाश के विषय में विनियम न बनाये, तब तक विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्स्थानी श्रेणी के राज्य शासन के सेवकों को लागू अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे।

37. सेवानिवृत्त कर्मचारी की परिलब्धियां.–परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति से भिन्न किसी कर्मचारी, जिसे शासकीय सेवा से उसके सेवानिवृत्ति पश्चात् भर्ती किया गया है, की परिलब्धियां, आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन की राशि कम करके आने वाली राशि के आधार पर विश्वविद्यालय में नियत की जायेगी, परन्तु मंडल, किसी विशिष्ट मामले में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इस परिनियम के अधीन उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

अध्याय पांच– पेंशन, भविष्य निधि, उपदान आदि

38. योजनाएँ.– पेंशन, उपदान, पारिवारिक पेंशन और पेंशन का लाभ विद्यमान अधिकारियों, शिक्षकों और इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेम होगा, जो विश्वविद्यालय में उनके स्थानांतरण के बाद जारी रहेगा। ये लाभ, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 और छत्तीसगढ़ पेंशन (संगणना) नियम, 1976 के अनुसार तथा समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगे।

विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की अनुमति से विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों, जो पुरानी पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, के लिए नवीन पेंशन योजना को अपना सकता है।

39. पेंशन और उपदान निधि.– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन और उपदान वितरण पर व्यय को पूरा करने के लिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 और योजना के संचालन पर अन्य आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए पेंशन और उपदान निधि को केंद्रीय रूप से सृजित किया जाएगा, जिसे लेखा नियंत्रक द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित राशियों का समावेश करते हुए गठित किया जावेगाः–

(अ) प्रत्येक कर्मचारी शेयर के खाते के लिए विश्ववद्यालय द्वारा किये गये मासिक अंशदान निधि सदस्यता।

(ब) पेंशन और उपदान योजना संचालित करने में निधि की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनुदान सहायता।

(स) निधि के निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित राशि।

40. पेंशन निधि में अंशदान.– विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के मासिक अंशदान को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में एक बार नियत किया जाएगा और विश्वविद्यालय के पात्र कर्मचारियों के संबंध में इस प्रकार निर्धारित राशि को पेंशन एवं उपदान निधि में जमा किया जाएगा। राशि का मूल्यांकन अगले वर्ष के मई के महीने में किया जाएगा और राशि का अंतर, यदि कोई हो, आवश्यक सुधार किया जावेगा।

41. पेंशन निधि का लेखा परीक्षण.– विश्वविद्यालय, मुख्यालय में पेंशन निधि की राशि की जाँच तथा लेखा परीक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उनके विभागीय लेखा परीक्षकों के माध्यम से किया जायेगा।

42. सामान्य भविष्य निधि नियम.– छत्तीसगढ़ पेंशन और उपदान योजना का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए समय–समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 लागू होगा।

43. सामान्य प्रावधान.– संदेह की स्थिति में या जहां परिनियम में कोई प्रावधान स्पष्ट न हो, वहां छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू होगा।

44. प्राधिकरण.– पेंशन मामलों से संबंधित सभी मामलों में कुलपति अंतिम प्राधिकारी होगा, जो कि जन्मतिथि, योग्यता सेवाओं, पेंशन की स्वीकार्यता और इसी तरह के अन्य मुद्दों के संबंध में निर्णय लेंगे।

अभ्यास छः – शैक्षिक कार्यक्रम, प्रवेश सम्पादन

क–अध्यापन का संगठन

45. शैक्षणिक कार्यक्रम परिभाषायें .– इस अध्याय में, जब तक कि संन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "शैक्षणिक वर्ष " से अभिप्रेत है बारह माह की कालावधि, जिसके दौरान कार्य का एक चक्र पूर्ण होता हो ;

(ख) "सेमेस्टर" से अभिप्रेत है 18 से 22 सप्ताहों की कालावधि; एक शैक्षिक वर्ष में ऐसी तीन कालावधियां होंगी ;

(ग) "पाठ्यचर्या" से अभिप्रेत है किसी उपाधि की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित तथा अभिहित पाठयक्रमों की एक श्रृंखला;

(घ) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है एक सेमेस्टर में चलने वाली तथा किसी पाठयचर्या की अभिन्न तथा विनिर्दिष्ट अंग होने वाली कक्षाओं तथा कार्य अनुभव की एक श्रृंखला;

(ड.) "पाठ्यक्रम रूपरेखा" से अभिप्रेत है किसी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की विस्तृत रूपरेखा, जो कि अध्ययन के किसी विषिष्ट क्षेत्र में विलोपों और/या पुनरावृत्तियों से बचने के लिए अन्य पाठ्य विवरणों से सावधानीपूर्वक सहसंबद्व हो;

(च) "पाठ्यक्रम क्रेडिट" से अभिप्रेत है किसी पाठ्यक्रम का मात्रात्मक माप, जिसमें एक सेमेस्टर के माध्यम से प्रति सप्ताह प्रत्याशित विद्यार्थी के प्रयास के तीन घंटों के लिए एक क्रेडिट आबंटित किया जायेगा;

(छ) "पाठयक्रम भार" से अभिप्रेत है 24 क्रेडिट, जो कि कोई छात्र प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्ण करे।

46. विश्वविद्यालय कलेण्डर, शैक्षिक वर्ष, सेमिस्टर वार्षिक कैटलॉग .– (1) शैक्षिक वर्ष, सामान्यतः प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम कार्य दिवस को आरम्भ होगा।

(2) सेमेस्टर सामान्यतः निम्नानुसार होगा :–

प्रथम सेमेस्टर	–	जुलाई से नवम्बर–दिसम्बर तक.
द्वितीय सेमेस्टर	–	नवम्बर–दिसम्बर से अप्रैल– मई तक.

प्रत्येक सेमेस्टर में, कम से कम 105 पूर्ण दिन होंगे, जिनमें कक्षाओं और/या अंतरिम परीक्षाओं का संचालन किया जायेगा, जिनमें प्रयोगशालायें तथा पुस्तकालय खुले रहेंगे।

(3) विश्वविद्यालय, शैक्षिक वर्ष आरम्भ होने के पूर्व, एक विश्वविद्यालय वार्षिक कैटलॉग प्रकाशित करेगा, जिसमें यथासम्भव निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगी, किन्तु वह निम्नलिखित बातों तक ही सीमित नहीं होगी :–

(क) शैक्षिक वर्ष के तथा प्रत्येक सेमेस्टर के आरम्भ होने की तारीख और शासकीय छुट्टियों की तारीखें;

(ख) विभिन्न महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अर्हतायें तथा उनकी अधिकतम संख्या;

(ग) रजिस्ट्रीकरण, पाठ्यक्रमों, प्रयोगशालाओं, छात्र कार्य, छात्रावास आदि के लिए प्रभार्य फीस;

(घ) छात्रवृत्तियां, विद्यार्थी ऋण तथा अन्य स्त्रोत, जहां से विद्यार्थी अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हों;

(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधियां, पत्रोपाधियां, मेडल आदि तथा उनकी अपेक्षायें;

(च) प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक महाविद्यालय में संचालित किए जाने वाले पाठयक्रमों की सूचियां, जिनमें विषयवस्तु, पाठ्यक्रम, क्रेडिट, प्रत्येक पाठ्यक्रम की पूर्वापेक्षायें आदि दर्शाई गई होंगी;

(छ) पाठ्यक्रमों में तथा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संतोष जनक प्रास्थिति बनाये रखने संबंधी अपेक्षायें, परीवीक्षा की शर्तें तथा बर्खास्तगी के कारण;

(ज) छात्रों के लिए छात्रावास तथा अन्य निवास व्यवस्था;

(झ) गणवेश तथा अन्य आनुषंगिक विषय, जिनकी छात्रों से अपेक्षा की जाती हो।

ख–छात्रों का प्रवेश संपादन

47. विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों की अर्हतायें .– (1) विश्वविद्यालयों के किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र की न्यूनतम शैक्षणिक उपलब्धी, परिनियम 48 के खण्ड (1) के अधीन के सिवाय, विश्वविद्यालय मण्डल द्वारा अधिकथित की जाएगी।

(2) विहित शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अच्छी नैतिक आदतों वाला होगा तथा वह ऐसी व्यक्तिगत तथा

शारीरिक पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति करेगा, जैसा कि छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष (डीन) द्वारा अवधारित की जाये।

(3) उन सभी छात्रों, जिन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया हो, के नाम उनके इस प्रकार चयन किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, कुलसचिव के सूचना–फलक पर प्रदर्शित किए जायेंगें तथा यदि कुलसचिव, उन्हे प्रकाशित करना आवश्यक समझे तो ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित किए जायेंगे, जैसा कि वह उचित समझे।

48. पूर्ववर्ती अध्ययनों तथा अनुभवों के लिए क्रेडिट, प्रवेश, उच्च प्रास्थिति.– प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थी, जो कि परिनियम 48 में विहित प्रवेश की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता हो, किन्तु जिसके पास अन्य मूल्यवान अनुभव हो और /या जिसके पास विशेष योग्यतायें हो, की ऐसे अनुभव और/या योग्यता के लिए क्रेडिट दिया जा सकेगा, ताकि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अर्ह हो सके। समुचित संकाय के संकायाध्यक्ष (डीन) द्वारा ऐसी संभव एवजी अर्हताओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा तथा ऐसे छात्रों के प्रवेश के अभिलेख के प्रयोजनों के लिए कुलसचिव को प्रतिवेदन दिया जा सकेगा।

49. विद्यार्थियों के सम्पादन का मूल्यांकन.–किसी विद्यार्थी द्वारा अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड, विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियमों/विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

अध्यापक, विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष (डीन) द्वारा विहित नियम के अनुसार, इस संबंध में अपनी राय प्रतिवेदित करेगा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय का 'अच्छा' विद्यार्थी किस मात्रा में है।

50. विद्यार्थियों की परिवीक्षा एवं बर्खास्तगी.– विद्यार्थियों की परिवीक्षा एवं बर्खास्तगी की शर्तें विद्या परिषद् द्वारा इस संबंध मे बनाए गए शैक्षणिक नियम/विनियमों के अनुसार होंगे।

51. विद्यार्थी के पाठ्यवर्येत्तर क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय क्रियाकलाप, रोजगार.– (1) कोई भी नामांकित विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के ऐसे पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में संलग्न नहीं होगा, जो कि अध्यापक की राय में छात्र की कक्षाओं में उसके संतोषजनक काम में गंभीर रूप से बाधक हो, परन्तु अध्यापक के ऐसे किसी विनिर्णय को, छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष द्वारा उलट दिया जा सकेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) कोई भी नामांकित विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के लिए या विश्वविद्यालय के बाहर प्रतिकर सहित या प्रतिकर रहित, किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा, जब ऐसा कार्य अध्यापक की राय में, विद्यार्थी के कक्षा कार्य में गंभीर रूप से बाधक समझा जाये, परन्तु अध्यापक के ऐसे विनिर्णय को, विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष द्वारा उस संकाय, जिससे विद्यार्थी संबंधित हो, के संकायाध्यक्ष की सहमति से उलट

दिया जा सकेगा और मामले पर विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा। विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष (डीन आफ फैकल्टी) के बीच मतभेद होने की स्थिति में, मामले को कुलपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

ग– छात्रवृत्ति तथा ऋण निधियां, विद्यार्थी फीस

52. विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियां तथा विद्यार्थी ऋण निधियां आदि.– (1) विश्वविद्यालय एक छात्रवृत्ति निधि स्थापित करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें से नामांकित विद्यार्थी को राशियां दी जा सकेंगी –

(क) विश्वविद्यालय में उपस्थित रहते समय उसके व्ययों की पूर्ति के लिए, और/या

(ख) विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट निष्पादन के लिये उसे पुरस्कार के रूप में,

प्रशासनिक परिषद् तथा विद्या परिषद् की संयुक्त सिफारिशों के अनुसार मण्डल, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति निधि के प्रचालनों को शासित करने के लिये विनियम बनायेगा।

(2) विश्वविद्यालय एक विद्यार्थी ऋण निधि स्थापित करेगा, जिससे किसी नामांकित विद्यार्थी को, जब विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के व्यय की पूर्ति के लिये ऐसी सहायता आवश्यक हो, ऋणों के रूप राशियां प्रदान की जा सकेंगी। प्रशासनिक परिषद् की सिफारिशों के अनुसार मण्डल, विश्वविद्यालय विद्यार्थी ऋण निधि के प्रचालन को शासित करने के लिये विनियम बनायेगा।

53. विद्यार्थी फीस, रजिस्ट्रीकरण, पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला तथा अन्य.– (1) प्रत्येक सेमेस्टर में रजिस्ट्रीकरण के समय, नामांकित विद्यार्थी रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करेगा, जैसे विनियमों द्वारा विहित की जाये, खण्ड (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, सेमेस्टर के लिये रजिस्ट्रीकरण तब तक पूर्ण नहीं होगी, जब तक कि फीस का भुगतान न किया जाए तथा एक बार विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को स्वीकार कर लेने पर ऐसी फीस लौटाई नहीं जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के लिये रजिस्ट्रीकरण के समय नामांकित छात्र एक पाठ्यक्रम फीस का भुगतान करेगा, जो कि ऐसी होंगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित की जाये, खण्ड (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक कि फीस का भुगतान न किया जाये तथा ऐसी फीस प्रशासनिक परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार ही लौटाई जायेगी, अन्यथा नहीं।

(3) प्रशासनिक परिषद्, कुलपति के अनुमोदन से, विनियम द्वारा वह फीस विहित करेगी, जिसका भुगतान नामांकित विद्यार्थी द्वारा कैफेटेरिया, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालय की अन्य सुविधाओं आदि के उपयोग के लिये किया जायेगा।

(4) मण्डल, प्रशासनिक परिषद् की सिफारिशों पर, धारा 9 में निर्दिष्ट निर्धन व्यक्तियों को उपर्युक्त खण्ड (1), (2) तथा (3) के अधीन विहित फीस में भुगतान से छूट देने के लिये विनियम बना सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक परिषद् की सिफारिश पर मण्डल अन्य नामांकित छात्रो के लिये फीस की छूट से संबंधित विनियम भी तब बना सकेगा, जब ऐसी छूट विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित के अनुकूल समझी जाये।

अध्याय सात – विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि तथा अवार्ड

54. स्नातक उपाधि, प्रकार तथा अपेक्षाएं.– (1) विश्वविद्यालय, मंडल द्वारा अनुमोदन किये जाने पर नामांकित छात्र को, जो विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो, निम्नानुसार स्नातक उपाधि प्रदान करेगा –

(क) बैचलर ऑफ साइन्स (उद्यानिकी)

(2) स्नातक उपाधि के लिए संकाय द्वारा विहित तथा विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों (पाठ्यचर्याओं) की एक श्रृंखला पूर्ण करना अपेक्षित होगा। पाठ्यचर्चा में निम्नलिखित से संबंधित पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे :–

(क) आधारभूत विज्ञान तथा मानविकी,

(ख) संकाय का आधारभूत विषय,

(ग) उससे संबंधित क्षेत्र, तथा

(घ) विशेष व्यावसायिक और या वृत्तिक विषय,

जिन सभी में छात्र को आधारभूत तथा उपयोज्य ज्ञान अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे, जो कि उसे उद्यानिकी तथा ग्रामीण जीवन के सभी तथ्यों को युक्तियुक्त रूप से भलीभांति निपटाने में तथा विशेषतः उन विशिष्ट कियाकलापों के निष्पादन में, जिनके लिए उसमें विशेष पाठ्यक्रम लिए हो, समक्ष बनायेगा।

स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्र को विहित मानकों के अनुसार विशिष्ट उपाधि के लिए विनियम द्वारा विहित पाठ्यक्रम क्रेडिट विश्वविद्यालय में पूरे करने होंगे या 'अनुमोदित अंतरण' द्वारा अर्जित करने होंगे और संकाय में पूरे किये गये सभी पाठ्यक्रमों के लिए 10.00 क्रेडिट ग्रेड औसत में से कम से कम 5.50 का क्रेडिट ग्रेड औसत अर्जित करना होगा (जबकि स्नातकोत्तर उपाधि के लिए 10.00

क्रेडिट ग्रेड औसत में से कम से कम 6.50 का क्रेडिट ग्रेड औसत अर्जित करना होगा)। उपर्युक्त के अतिरिक्त, छात्र में संकाय के मतानुसार अच्छी नैतिक आदतें तथा उच्च स्तरीय ईमानदारी होनी चाहिए।

(3) विद्यार्थी, जो किसी उपाधि के लिए विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की पूर्ति में स्नातक छात्र के रूप में 7.5 और अधिक का क्रेडिट ग्रेड औसत अर्जित कर लेता है और स्नातकोत्तर छात्र के रूप में 8.5 और अधिक का क्रेडिट अर्जित कर लेता है, उसे सर्टिफिकेट आफ ऑनर प्रदान किया जायेगा।

55. उच्च उपाधियां, प्रकार तथा अपेक्षाएं.– (1) विश्वविद्यालय, जब मंडल द्वारा इस प्रकार अनुमोदित किया जाए, ऐसे छात्र को, जिसने विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की पूर्ति की हो, निम्नानुसार स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर डिग्री) प्रदान करेगा –

(क) मास्टर ऑफ साइंस इन (हॉर्टिकल्चर) फ्रूट साइंस
(ख) मास्टर ऑफ साइंस इन (हॉर्टिकल्चर) वेजीटेबल साइंस
(ग) मास्टर ऑफ साइंस इन (हॉर्टिकल्चर) फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर साइंस
(घ) मास्टर ऑफ साइंस इन (हॉर्टिकल्चर) प्लांटेशन, स्पाईसेस, मेडिशिनल एंड एरोमेटिक साइंस
(ड.) मास्टर ऑफ साइंस इन (हॉर्टिकल्चर) पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी
(च) पी.एच.डी.

(2) जिसने स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद द्वारा विहित किए गए तथा विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार स्नातक उपाधि के पश्चात् विश्वविद्यालय में विशिष्ट उपाधि पर लागू होने वाले कम से कम 82 कोर्स क्रेडिट श्रेयस्कर रीति से पूरे किए हो या अनुमोदित अंतरण द्वारा अर्जित किए हों इसके अतिरिक्त उसने कोई शोध परियोजना पूर्ण की हो तथा संकाय को श्रेयस्कर प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत किया हो।

(3) विश्वविद्यालय, जब मंडल द्वारा इस प्रकार अनुमोदित किया जाए, ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी को, जिसने विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की पूर्ति की हो, स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् द्वारा यथा विहित तथा विद्या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित डॉक्टर आफ फिलॉसफी की उपाधि तब प्रदान करेगा, जब छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर डिग्री) के पश्चात् डॉक्टरेट उपाधि पर लागू होने वाले कम से कम 70 पाठ्यक्रम क्रेडिट श्रेयस्कर रीति से पूरे किए हो या अनुमोदित अंतरण द्वारा अर्जित किए हो। इसके अतिरिक्त, उसने एक व्यापक शोध परियोजना पूरी की हो तथा एक स्वीकार्य प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत किया हो और इसके साथ ही उसने निश्चायक रूप से संकाय द्वारा ली गई परीक्षा द्वारा यह प्रदर्शित किया हो कि उसके पास विशेषीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सक्षमता है।

56. मानद उपाधियां.– मानद उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव का सर्वप्रथम विद्या परिषद द्वारा परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात् परिषद, मंडल को कुलपति के माध्यम से ऐसे परीक्षण के परिणाम अग्रेषित करेगी। मंडल, कुलाधिपति को ऐसी सिफारिशें करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में उचित समझे।

57. पत्रोपाधि (डिप्लोमा), मेडल तथा प्रमाणपत्र.– कुलपति, विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार और परिषद द्वारा उसे इस संबंध में की गई सिफारिश पर नामांकित छात्रों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित गैर उपाधि कार्य पूर्ण कर लिए हों, ऐसी समुचित पत्रोपाधियाँ, प्रमाण पत्र, मेडल आदि प्रदान करेगा, जो परिषद तथा कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में उचित समझा जाये।

58. उपाधियों, पत्रोपाधियों आदि का वापस लिया जाना .– मंडल, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, मंडल के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा मंडल के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मान को वापस ले सकेगा, परन्तु किसी मानद उपाधि को वापस लेने के लिए कुलाधिपति की सहमति आवश्यक होगी।

अध्याय आठ – विश्वविद्यालय से संबंधित संगठन

59. भूतपूर्व विद्यार्थी संगठन.– विश्वविद्यालय के भीतर किन्तु उसके अधिकृत प्राधिकरण के रूप में नहीं, एक संगठन हो सकेगा, जो कि भूतपूर्व विद्यार्थी संगठन कहलायेगा। केवल वही व्यक्ति इस संगठन की पूर्ण सदस्यता हेतु पात्र होगा, जिसने विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की हो तथा उसे धारण किए हुए हो। विश्वविद्यालय के उपाधि धारक, कुलपति के मार्गदर्शन के अंतर्गत मंडल द्वारा अनुमोदित संगठनात्मक उपविधियों के अनुसार ऐसे संगठन को स्थापित कर सकेंगे।

परन्तु किसी प्रख्यात व्यक्ति को, भूतपूर्व विद्यार्थी संगठन के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

अध्याय नौ– कर्मचारियों की आवास व्यवस्था, छात्रावास तथा अन्य वास व्यवस्थाएं,

60. कर्मचारियों को आवास व्यवस्था तथा अन्य वास व्यवस्थाएं .– (1) विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यक गृह, जिनका विश्वविद्यालय के उचित कार्यकरण हेतु आवश्यक होना मंडल द्वारा अवधारित किया जाये, अधिप्राप्ति किए जा सकेंगे, उनका निर्माण किया जा सकेगा, उनका स्वामित्व लिया जा सकेगा, उन्हें पट्टे पर लिये जा सकेगा तथा उनका उपयोग किया जा सकेगा। प्रशासनिक

परिषद कर्मचारियों की आवास व्यवस्था संबंधी विषयों के उचित प्रशासन के लिये विनियम बना सकेगी तथा अंगीकार कर सकेगी।

(2) प्रशासनिक परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार मंडल, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य, मनोरंजनात्मक तथा अन्य आनुषांगिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उसका प्रवर्तन कर सकेगा। ऐसी सभी सुविधाओं का प्रशासन, प्रशासनिक परिषद द्वारा तैयार किए गए तथा अंगीकार किए गए विनियमों में किए गए उपबन्ध के अनुसार किया जायेगा।

61. विद्यार्थियों के आवास गृह, केफेटेरिया तथा विद्यार्थियों के लिये अन्य वास व्यवस्थाएं.– (1) विश्वविद्यालय का नामांकित विद्यार्थीः–

(क) अपने स्वयं के घर में या अपने माता पिता के घर में रहेगा, या

(ख) विश्वविद्यालय छात्रावास में या विद्यार्थियों से लिये अनुमोदित वास स्थान में रहेगा,

इस विषय पर विद्या परिषद द्वारा विनियम बनाये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय के नामांकित विद्यार्थियों के लिए ऐसे केफेटेरिया, स्वास्थ्य सुविधाओं, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, दुकान सुविधाओं तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाओं की विश्वविद्यालय व्यवस्था करेगा तथा उनका प्रवर्तन करेगा, जैसा कि मंडल द्वारा विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में उचित समझा जाए। प्रशासनिक परिषद्, विद्या परिषद् के परामर्श से, ऐसे प्रयोजन के लिए विनियम बनायेगे। विनियम, विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष और/या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासित होंगे, जैसा कि कुलपति के परामर्श से उनके द्वारा पदाभिहित किया जाये।

62. विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालय छात्रावास.– (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के नामांकित विद्यार्थियों के लिए ऐसे छात्रावासों तथा ऐसी आवास सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रवर्तन करेगा, जैसा कि मंडल द्वारा विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम हित में उचित समझा जाए।

(2) खण्ड (3) के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा कोई भी नामांकित विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालय के छात्रावास या अन्य आवास सुविधा में रहता है, विश्वविद्यालय को ऐसी छात्रावास फीस का भुगतान करेगा, जैसा कि मंडल द्वारा सेमेस्टर के आरंभ होने के पूर्व अवधारित किया जाए।

(3) मंडल, निर्धन व्यक्ति को या ऐसे अन्य विद्यार्थी को, जैसा कि वह उचित समझे, छात्रावास फीस के भुगतान से छूट दे सकेगा।

(4) प्रशासनिक परिषद्, विद्या परिषद् की सहमति से, छात्रावासों तथा तत्संबंधी अन्य विषयों के प्रबंधन के लिये विनियम बना सकेगी और विद्यार्थी कल्याण के

संकायाध्यक्ष द्वारा ऐसे विनियमों का प्रशासन किया जायेगा। इस प्रकार बनाए गए विनियमों में उन छात्रावासों के, जिनमें नामांकित विद्यार्थी रहते हों, प्रबंध में नामांकित विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता का उपबंध होगा, जैसा कि किसी विश्वविद्यालय के सुविधा के अच्छे प्रबंधन के अनुरूप हो।

(5) इस परिनियम के प्रयोजनार्थ छात्रावास फीस में भोजन व्यवस्था प्रभार सम्मिलित होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 2 मार्च 2020

क्र./1361/एफ–03/28/विविध/2019/14–2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र./1361/एफ–03/28/विविध/2019/14–2, दिनांक 02–03–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 2nd March 2020

NOTIFICATION

No. /1361/F-03/28/Misc./2019/14-2. — In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Viswavidyalaya Adhiniyam, 2019 (No.23 of 2019), the State Government, hereby, makes the following first Statutes, namely :-

MAHATMA GANDHI UDYANIKEE EVAM VANIKEE VISWAVIDYALAYA, PATAN, DURG STATUTES, 2020.

TABLE OF CONTENTS

Statutes:

CHAPTER I – GENERAL

1.Short title and commencement.

2. Definitions.

CHAPTER II - OFFICERS OF THE VISHWA VIDYALAYA

A- Other Officers

3. Other Officers.

B- Appointment of officers of the Vishwavidyalaya other than the Chancellor and Vice-Chancellor

4. Qualification for posts of officers.

5. Selection Committees for appointment of officers, teachers and service personnel.

6. Procedure of Selection Committee.

7. Procedure for appointment.

C- Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of the Vice-Chancellor

8. Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor.

D- Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of officers of the Vishwavidyalaya other than Chancellor and Vice-Chancellor

9. Conditions of service, etc., of other officers.
10. Comptroller-His Emoluments and powers and duties.
11. Deputy Comptroller-His emoluments, powers and duties.
12. Registrar-His Emoluments and powers and duties.
13. Dean of Student Welfare-His Emoluments and powers and duties.
14. Director of Research Services- His emoluments and powers and duties.
15. Director of Extension Services- His emoluments, powers and duties.
16. Director of Instructions- His emoluments, powers and duties,
17. Powers and duties of Deans of Faculties.
18. Dean of College- His emoluments, powers and duties.
19. Vishwavidyalaya Librarian- His emoluments and powers and duties.

CHAPTER III - AUTHORITIES OF THE VISHWA VIDYALAYA

20. Board.
21. Academic Council.
22. Faculties.
23. Other Authorities.
24. Administrative Council.
25. Extension Education Council.
26. Research Council.
27. Council of Post-Graduate Studies.
28. Committees of the Authorities of the Vishwavidyalaya.
29. Travelling Allowance and Daily Allowance payable to members of authorities.

CHAPTER IV - EMPLOYEES OF THE VISHWA VIDYALAYA

A- Teachers of the Vishwavidyalaya

30. Vishwavidyalaya Teachers.
31. Qualifications of teachers of the Vishwavidyalaya.
32. Scales of pay of teachers and other terms and conditions of their services.

B- Heads of Departments, Heads of Research Station and Heads of Field Extension Unit

33. Responsibilities and duties, etc., of Head of the Department.

C- Other employees of the Vishwavidyalaya and their conditions of Service, etc.

34.Service personnel.

D- General

35. Additional work of Vishwavidalaya employees.
36. Leave facilities.
37. Emoluments of a retired employee.

CHAPTER V - PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY, ETC.

38. Schemes.
39. Pension and Gratuity Fund.
40. Contribution to Pension Fund.
41. Audit of Pension Fund.
42. General Provident Fund Rules.
43. General Provision
44. Authority.

CHAPTER VI - ACADEMIC PROGRAMMES, ADMISSIONS, PERFORMANCE

A- Organization of Teaching

45. Academic Programmes - Definitions.

46. VishwavidyalayaCalendar : Academic Year, Semesters, Annual Catalogue.

B- Student Admissions, Performance

47. Qualifications for student admission to the Vishwavidyalaya.
48. Credit for previous studies and experiences.
49. Evaluation of student's performance.
50. Student - Probations and dismissals.
51. Extra-curricular activities of students, Vishwavidyalaya activities, employment.

C- Scholarships, Loan Funds, and Student Fees

52. Vishwavidyalaya Scholarships and Student Loan Funds.
53. Student fees, Registration, Course, Laboratory and others.

CHAPTER VII - VISHWAVIDYALAYA DEGREES, DIPLOMAS, AWARDS

54. Bachelor Degrees, kinds and requirements.
55. Advanced Degrees; kinds and requirements.
56. Honorary Degrees.
57. Diplomas, Medals and Certificates.
58. Withdrawal of Degrees, Diplomas, etc.

CHAPTER VIII - ASSOCIATIONS RELATED TO VISHWA VIDYALAYA

59. Alumni Association.

CHAPTER IX - STAFF HOUSING, STUDENTS HOSTELS AND OTHER ACCOMMODATIONS

60. Employee Housing and other Accommodations.
61. Student quarters, Cafeterias and other accommodations for students.
62. Vishwavidyalaya Hostels for students.

STATUTES

CHAPTER I – GENERAL

1. Short title and commencement. - (1) These Statutes may be called the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Patan, Durg Statutes, 2020.

(2) They shall come into force on the April, 2020.

2. Definitions. –(1)In these Statutes, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Act**" means the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2019 (No. 23 of 2019);

(b) "**Section**"means a Section of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these Statutes, and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II - OFFICERS OF THE VISHWA VIDYALAYA

A - Other officers

3. Other officers. - In addition to the officers mentioned in clauses (1) to (6) of Section 11, the Vishwavidyalaya Librarian shall also be an officer.

B- Appointment of officers of the Vishwavidyalaya, other than the Chancellor and Vice-Chancellor

4. Qualifications for post of officers.–The Qualifications required by the candidates for appointment to the posts of University Officers other than those of the Chancellor and Vice-Chancellor shall be fixed by the Board or the appropriate appointing authority, as the case may be, taking into consideration the recommendations of –

(a) the Administrative Council in the case of Registrar, Comptroller and Dean of Student Welfare; and

(b) the Academic Council in respect of the remaining officers. The prescribed qualifications shall be given due publicity and

the Selection Committee shall select the candidates to such offices with due regard to the qualifications so prescribed.

5. **Selection Committees for appointment of officers, teachers and service personnel.-** Anticipating a vacancy, the Vice-Chancellor shall constitute a selection Committee consisting of members as detailed below for selecting candidates to be recommended for appointment as officers other than those of the Chancellor and the Vice-Chancellor :-

Designation of the post	**Composition of Selection Committee**
(1)	**(2)**
(a) Director of Research Services. Director of Extension Services. Director Instructions. Associate Directors Research Deans of Colleges Librarian Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor and equivalent posts of research and extension.	(i) One member nominated by the Department of Agriculture of the State Government. (ii) One expert member representing the Union Ministry of Agriculture to be nominated by the Department of Agricultural research and Education, Government of India (iii) One member from the Academic/ Administrative Council nominated by the Vice-Chancellor (iv)-(v) Two expert members from outside the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor. (vi) Dean of the Faculty or the Director to be nominated by the Vice-Chancellor depending upon the nature of the post. (vii) Vice-Chancellor or his nominee-Chairman. (viii) Registrar shall be the Secretary.
(b) Assistant Librarian, College Librarian, Technical Assistant (Lib.) Agriculture Assistant, Farm Superintendent, Dairy Manager, Foreman, Lady Extension Teacher, Extension	(1) Chairman - to be nominated by the Vice-Chancellor according to the nature of the post. (2) Dean/Director/Librarian to be nominated by the Vice-Chancellor. (3) Head of the Department concerned

	Assistant and similar non-teaching technical and field staff posts.	(4-5)Two expert member from outside the Vishwavidayalaya to be nominated by the Vice- Chancellor (6) Registrar or Deputy Registrar-Secretary
(c)	Deputy Registrar, Deputy Comptroller, Assistant Comptroller, Assistant Registrars, Accounts Officer, Audit Officers, Medical Officer and such other technical posts technical officers to Deans of Faculties section officers and other similar posts not covered by the above	(1) Vice-Chancellor (or his nominee)- Chairman (2) Registrar (3) Comptroller (4-5)Two members to be nominated by the Vice-Chancellor according to the nature of the post to be filled up (6) One member not connected with the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor
(d)	Ministerial posts (except those of Section Officers) in various Officials of the Vishwavidyalaya	(1) Registrar (or his nominee)- Chairman (2) one assistant Registrar to be nominated by the Vice-Chancellor (3) One officer to be nominated by the Comptroller from his office. (4-5)Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the Faculty/Directorate/Department.
Note- This committee shall deal with the appointments on posts at the point of entry into service and with promotion to higher posts.		
(e)	Ministerial/Technical posts located at the point of entry into service like Lower Division Clerk, Laboratory Assistant in the Institutions like colleges, Research Stations, etc.	(1) Dean of College/ Officer-in-Charge of the Institution- Chairman. (2-3) Two senior members nominated by the Dean of Faculty/Director concerned from the Institution/ Department where the post is to be filled up. (4) One teacher of the college or Officer equivalent to be nominated by the Dean of college/ Officer-in charge by rotation.
(f)	Technical Posts (Non-Ministerial) in various offices of the Vishwavidyalaya	(1) Registrar (or his nominee)- Chairman. (2) One officer to be nominated by the comptroller from his office. (3-4) Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the

	Faculty/Directorate /Department.
Note- This Committee shall only deal with the appointments on posts at point of entry into service and also with promotion to higher posts.	
(g) Departmental promotion committee in case of ministerial staff (including all ministerial staff in the Vishwavidyalaya up to assistants)	(1) Registrar-Chairman. (2) Comptroller- member. (3-4)Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from within the Vishwavidyalaya (5) One Officer not connected with the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.
(Note :-In case of promotion to technical posts carrying the scale equivalent to ministerial staff, Chairman of the Promotion Committee shall be the appointing authority) Note :- The quorum for every selection committee under clauses (a) to (g) of statute No.5 shall be of half the total number of members plus one.	

Among the members to be nominated in all the Selection Committees / Promotion Committees mentioned, the members shall be nominated by the Vice-Chancellor/Registrar/Accountant General as per the representation of SC, ST and OBC members. If the said classes are still not represented, then the Vice-Chancellor shall nominate additional members in the committees for representation of the said classes. For each Selection / Promotion Committee, the total number of members shall be quarantined by half the amount (+) one.

6.Procedure of Selection Committee.- (a) (i) All posts of officers of the Vishwavidyalaya as specified under Section 11 of the Act and statute 3 (except those of the Chancellor and Vice-Chancellor, Deans of Faculties) and teachers (as defined under Section 2 (x) of the Act and detailed in Statute 31) shall be filled by selection based strictly on merit through All India advertisement. The employee of the Vishwavidyalaya possessing the prescribed qualifications shall be considered alongwith those of other candidates. However, the posts of Director Research Services, Director of Extension Services, Director Instructions, Deans of Colleges and Dean Student Welfare shall be

inter transferable provided the requirements of minimum qualifications laid down for the posts are fulfilled.

(ii)The scheme of pay revision and fixation of pay and other measures for maintenance of standards in Horticulture Education to the Officers, Teachers, Librarians, PTI and sports officer working in the horticultural universities of the state shall be in accordance with the orders of the State Government, Agriculture Department, Mantralaya implemented on the recommendation of Govt. of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Research and Education from time to time.

(iii) In case of recruitment to the posts of non-teaching Service Personnel including the officers of class-I class-II and class-III, as specified in regulation relating to Vishwavidyalaya Service (except those at the point of entry to service), two-third out of the total number of vacant posts shall be filled-up by promotion from amongst the employees of the Vishwavidyalaya and the remaining one-third posts shall be filled-up by selection strictly based on merit and advertisement, other than that contemplated below in sub-clause (B), or on the names of eligible persons being sponsored by the Chhattisgarh State Employment Exchange. The employees of the Vishwavidyalaya possessing the prescribed qualifications shall be eligible to apply and their applications shall be considered along with those of other candidate.

The selection shall ordinarily be made either by holding interviews or by holding competitive examinations, as the Selection Committee may decide:

Provided that for Class-II and above posts in the works section of the Vishwavidyalaya, 60% quota shall be fixed for promotion from amongst the employees of the Vishwavidyalaya and 40% quota for direct recruitment through advertisement. In case, the nature of vacancy is such that the Vishwavidyalaya may not be able to recruit the desired type of person either from the promotion quota or by direct recruitment through advertisement, the Vice-Chancellor may obtain

the services of a suitable person on deputation from the Government of Chhattisgarh.

(b) In case of direct recruitment through advertisement, the applications received in response to the advertisement shall first be scrutinized by a committee to be appointed by the Vice-Chancellor, which shall recommend to the Vice-Chancellor the names of those applicants who fulfill the prescribed qualifications for being considered for the post. The screening committee shall also recommend to the Vice-Chancellor, for being called for interview, the names of those candidates whose qualifications are within the possibilities of relaxation by the Selection Committee. The applicants so recommended by the aforesaid committee and approved by the Vice-Chancellor shall be called for an interview by the Selection Committee. In Case of selection for the posts of Professors and Associate Professor(AP), the Selection Committee may, in the manner as may be prescribed by the Board from time to time at its discretion, also consider in absentia in the candidature of such applicants as are abroad on the date of interview.

The Selection Committee shall recommend a panel of not more than three names arranged in order of merit, for each vacancy to the Vice-Chancellor.

(c) In case of recruitment by promotion from amongst the Vishwavidyalaya employees the Vishwavidyalaya shall determine in respect of each grade or service to which appointment may be made by promotion, the grade or service from which such promotion may be made. The Selection Committee shall scrutinize the service record, qualification and professional attainments, etc. of all employees in the concerned grade or service from which promotion is to be made and shall recommend a panel of not more than three names for each vacancy, arranged in order of merit-cum seniority.

7. Procedure for appointment.–(1) the panel in order to merit of recommended persons, prepared in accordance with Statute 6 (a), 6

(b) and 6 (c), shall be submitted by the Vice-Chancellor to the appointing authority with his own recorded recommendations.

(2) The appointing authority may accept and approve the recommendations or return the recommendations refusing to accord approval giving reasons in writing thereof, in which case the Vice-Chancellor shall, in due course present another panel of recommendees in order of merit to the appointing authority in accordance with the statutes 6 (a), 6(b) and 6 (c).

(3) Subject to the provisions of Statute 6 (a), the appropriate appointing authority may make an ad hoc appointment in any emergency for a period of not more than six months. Such an as ad hoc appointment extending beyond a period of six months shall require the approval of the board.

C- Emoluments terms and conditions of service and powers and duties of the Vice-Chancellor

8. Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor-(1) (a) The Vice-Chancellor shall receive a salary as approved by the state govt. from time to time and shall also be entitled to get unfurnished residence. Where the residence of the Vice-Chancellor is furnished by the University, he shall pay the freight charges for the furniture of his residence at the rate prescribed by the Government from time to time for the hire of the Government Furniture. He shall also be entitled to free vehicle.

But, if a person is in the service of the Government or University on the date of appointment, he may be given the final salary money (+) 20 percent deputation allowance drawn by him or Rs. 5000, whichever is less.

(b) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefits of the Vishwavidyalaya Provident Fund:

Provided that if person already in service of the Vishwavidyalaya is appointed as Vice-Chancellor he shall be allowed to continue to subscribe to his Provident Fund and the contribution of the

Vishwavidayalaya shall be limited to what he had been contributing prior to his appointment as Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to receive Travelling Allowance (TA) at the rates prescribed in the Travelling Allowance rules fixed by the Board and also medical reimbursement as per Vishwavidyalaya rules.

(3) (a) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay for 1/11th of the period spend on active service. He may avail himself of this leave whenever he finds it necessary to do so during his tenure and report the same to the Board:

Provided that he shall cease to earn such leave when the leave due to him amounts to ninety days. The Vice-Chancellor shall be entitled for surrender and encashment of earned leave and all other leave privileges as are granted by the Vishwavidyalaya to its officers.

(b) In addition to the leave noted in sub-clause (a), the Vice-Chancellor shall be entitled in case of illness or on account of private affairs to leave without pay for a period not exceeding three months during the period of his tenure, provided that leave taken without pay may be subsequently transformed into leave on full pay to the extent to which leave may have become due under sub-clause (a) above.

(4) **Power of Vice-Chancellor**-The Vice-Chancellor shall have the power:-

(a) to sanction recurring and non-recurring expenditure within approved budget of the Vishwavidyalaya provided he may re-appropriate amounts within the various units of appropriation;

(b) to countersign his own T.A. bills and medical reimbursement bill subject to the provisions of the Vishwavidyalaya Rules;

(c) to open account on behalf of the Vishwavidyalaya in the Scheduled Bank in accordance with sub-section (3) of Section 36 of the Act and to authorize any drawing and

disbursing officer of the Vishwavidyalaya to operate such an account;

(d) to countersign T.A. bills and sanction absence of duty beyond jurisdiction officers of the University;

(e) to grant leave as per delegation of powers.

D-Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of officers of the VishwaVidyalaya other than Chancellor and Vice-Chancellor.

9.Conditions of Service etc. of other officer.-(1) Subject to the provisions of the Act and the Statutes hereinafter made the conditions of service of the officers of the Vishwavidyalaya other than the Chancellor and Vice-Chancellor shall be those embodied in the contract of service prescribed by the Vishwavidyalaya for officers.

(2) The Board, may, if so recommended by the Selection Committee and for reasons to be recorded in writing for acceptance of such recommendations, sanction a higher initial salary than prescribed by these Statutes, but not exceeding five advance increments to any candidate.

(3) All officers mentioned in clause (1) shall be whole-time salaried officers of the Vishwasidyalaya and shall be entitled to leave, leave salary, allowances, and other benefits as prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees:

Provided that if a candidate from outside the services of the Vishwavidyalaya is appointed for posts of Deans of Colleges and Directors, the period of his appointment shall be for such a tenure of 5 years and subject to such conditions as may be determined by the Vice-Chancellor. Such a candidate unless selected for another suitable post during the prescribed tenure shall have no claim on any other post in the Vishwavidyalaya after the expiry of the specified tenure. The Vice-Chancellor shall have powers to suitable

curtail/reduce such tenure depending upon the exigencies and convenience of administration.

(4) All Officers except the Chancellor and the Vice-Chancellor of the Vishwavidyalaya mentioned under Section 11 of the Act, teaching staff of the Vishwavidyalaya as defined under Statute 31 of Vishwavidyalaya Statutes, non-teaching service personnel of Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV categories as detailed in Regulation relating to Vishwavidyalaya Services shall be entitled to be in service of the Vishwavidayalaya until they complete the age of 62 (sixty) years. The teacher of the University, irrespective of the name of the post, who is appointed for the purpose of teaching in the University in accordance with the recruitment rules that apply to such appointment, and includes a teacher who is by promotion or otherwise an administrative; has been appointed to the post and who has been engaged in teaching / research / extension / development work for at least twenty years, till that time shall continue to university service, until it does not complete 65 years of age. Every teacher shall retire at the end of the last day of the month in which he attains 65 years of age. But any teacher, whose date of birth is the first date of a month, shall retire on attaining 65 years of age on the last day of the preceding month.

(i) All Vishwavidayalaya employee may, in the public interest or in the Vishwavidayalaya interest be retired at any time after they attain the age of 62 years or 27 years of qualifying service, on three month notice without assigning any reason or on payment of three months pay and allowances in the lieu of such a notice;

(ii) There shall be a Technical Evaluation Committee headed by Vice-Chancellor, in which the two experts from outside the University in the concerned discipline shall be nominated by the Vice-Chancellor, one shall be the representative of the State Government and the officer, one shall be the representative of the I.C.A.R., to evaluate each person at the age of 35/45/55 years

respectively. On the basis of evaluation, the said committee shall decide about the continuance or the retirement of the persons concerned.

Similarly, there shall be an evaluation committee for Administrative officers (Assistant Registrar and above) under the chairmanship of the Vice-Chancellor. The other members of the committee shall be a representative of the State Government and Director of Horticulture. The screening shall be done on attaining of age 62 years;

(iii) The cases of such persons as have been re-employed in the Vishwavidyalaya Service, after retirement from Government Service shall be governed by the terms and conditions of their re-employment in the Vishwavidyalaya Service; and

(iv) Such re-employed persons shall not be continued in the Vishwavidyalaya service beyond the age of 62 years.

10.Comptroller-His Emoluments and powers and duties.-(1) The Comptroller shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) In addition to the powers exercised by him under clause (a), (b) and (c) of sub-section (3) of Section 19, the Comptroller shall also exercise the following powers, namely:-

(a) he shall be responsible for the preparation of the financial estimates and for its presentation to the Board under Section (39) 33 of the act;

(b) he shall receive income and fees, disburse payment and be responsible for the day-to-day financial transactions of the Vishwavidyalaya and for the proper accounting thereof and all incidental matters including correspondence relating thereto;

(c) he shall exercise such other power as may be prescribed by the Status and Regulations or as may be required, from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor with

respect to matters pertaining to accounts and finances of the Vishwavidyalaya for which he shall be directly responsible to the Vice-Chancellor;

(d) he shall attend the Board meeting as and when required to do so for the purpose of fulfilling his responsibilities and duties envisaged in sub-section (3) of Section 19 of the Act.

(3) The receipt of the Comptroller or of the persons or persons duly authorised in writing in this behalf by the Board for any money payable to the Vishwavidyalaya shall be full discharge for the same.

11. Deputy Comptroller, His emoluments, powers and duties.-(1) The Deputy Comptroller shall be a whole time salaried officer and shall be appointed by the Vice-Chancellor as provisions in the relevant statutes.

(2) The Deputy Comptroller shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(3) The Deputy Comptroller shall perform such functions and duties including those pertaining to accounts and finances of the Vishwavidyalaya as may be assigned to him from time to time by Statues, regulations, delegation of powers laid down by the Comptroller and the Vice-Chancellor and in respect of such function or duties assigned to him, the Deputy Comptroller shall be directly responsible to the officer concerned.

12. Registrar-His Emoluments and powers and duties.-(1) The Registrar shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) It shall be the duty of the Registrar-

(a) to be responsible for the preparation of the annual report under Section 41 of the Act;

(b) to be custodian of the records, common seal and such other property of the Vishwavidyalaya as the Board shall commit to his charge;

(c) to issue all notice convening meeting of the Board, Academic Council and of any committees or bodies appointed under the Act of the Vishwavidyalaya of which he is to act as Secretary;

(d) to keep the minutes of all meeting of the Board, the Academic Council and of any committees or bodies appointed under the Act of which he is to act as Secretary;

(e) to conduct the official correspondence of the Board and the Academic Council except matters pertaining to finances of the Vishwavidyalaya and matters incidental thereto falling within the ambit of Comptroller's duties.;

(f) to administer Statutues of the Vishwavidyalaya with respect to admission of students and their continuance as such;

(g) to prepare time schedule for academic courses as recommended by the Faculties and plan and direct the admission of students for various courses and record transfers and drop-outs as recommended by the Faculties;

(h) to maintain records of each student of the Vishwavidyalaya including academic accomplishment, conduct as a student, and all other matters with bear on the accomplishments and conduct of the student;

(i) to maintain records on non-student attendants in Vishwavidyalaya programmes, as designated by the Director of Extension Services;

(j) to maintain records of Graduates of the Vishwavidyalaya,

(k) to discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor to whom he shall be responsible for the same.

13.Dean of Student Welfare-His Emoluments and powers and duties.-

(1) The Dean of Student Welfare shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) It shall be the duty of the Dean of Student Welfare-

(a) to plan and direct, in co-ordination with other Vishwavidyalaya Officers and authorities, All non-curricular activities for student including clubs, recreation centres, co-operatives, etc., as may from time to time be approved by the Vishwavidyalaya for Welfare of students;

(b) to supervise the management of students hostels, messing arrangements and cafeterias:

(c) to co-operate with the staff in-charge of physical education activities, National Cadet Corps and other allied activities;

(d) to deal, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, with student indiscipline, excessive absenteeism other student irregularities from point of view of maintenance of discipline etc;

(e) to supervise health programmers and medical facilities for students.

(f) to make arrangements for scholarships, stipends, part time employments and other such assistance as may be deemed necessary for welfare of students;

(g) to communicate with guardians of students concerning the welfare of the students;

(h) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of powers and discharge of duties under the Act;

(i) to co-operate and assist the Employment Bureau in the matters of employments of the students who have completed courses in Vishwavidyalaya.

14. Director of Research-Services his emoluments and powers and duties.-(1) The Director of Research Services shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) The Director of Research Services shall be appointed on such term as the Board may approve.

(3) It shall be the duty of the Director of Research Services-

(a) to exercise overall control of the planning and prosecution of research conducted by the Vishwavidyalaya, excepting research done by students to meet degree requirement and by teacher of the Vishwavidyalaya to improve teaching ability;

(b) to prepare Research Service Programmes and annual budget estimates as may be required by the Vishwavidyalaya;

(c) to assist the Dean concerned in the supervision over the members of the college staff engaged on approved research programmes under the general previews of the Research Service;

(d) to require and supervise the compilation of research result and the proper publication of the research findings;

(e) to approve for publication in consultation with Deans concerned research manuscripts in such general form and such number as may be determined;

(f) to assign numbers to all publications and to maintain official record of all publications;

(g) to be responsible to the Vice-Chancellor in exercise of the powers and discharge of the duties under the Act;

(h) to undertake teaching work;

(i) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the board.

15. Director of Extension Services - his emoluments powers and duties. -(1) The Director of Extension Services shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) The Director of Extension Services shall be appointed on such term as the Board may approve.

(3) It shall be the duty of the Director of Extension Services -

(a) to exercise overall control of on-campus and off-campus educational work involving cultivators and rural families;

(b) to prepare yearly programmes and budget needs for the education of cultivators and other non-students in connection with the extension scheme;

(c) to assist the Deans of Faculties in developing courses and in teaching students in various forms of the extension education;

(d) to supervise off-campus programmes dealing with horticultural co-operatives and rural youth programmes;

(e) to exercise supervision over the extension specialist assigned or attached to the colleges and such other members of the staff who are engaged in extension work and guide the extending work;

(f) to direct the preparation of materials such as publication, film, etc. for better development of the extension programmes;

(g) to distribute any material as a part of Vishwavidyalaya Extension Services;

(h) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of powers and discharge of duties under the act;

(i) to undertake teaching work;

(j) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulation or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

16. Director of Instructions- his emoluments powers and duties.-

(1) The Director Instructions shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) The Director Instructions shall be appointed on such terms as the Board may approve.

(3) It shall be the duty of the Director of Instructions-

(a) to be in overall charge of the education in all the Faculties of the Vishwavidyalaya and allied subjects;

(b) to frame, develop, evaluate and improve course and curriculum and develop teaching procedure designed to

inculcate in the student's professional competence, character and quality of leadership in consultation with the Dean of Faculty concerned;

(c) to ensure uniform standard of teaching and examination in all constituent colleges of Vishwavidyalaya;

(d) to develop an integrated system of teaching, research and extension education and to coordinate the teaching work of different Faculties;

(e) to make arrangements for providing in-service and post-graduate training facilities to academic staff member of constituent college research stations/farms;

(f) to exercise overall control of the planning and coordination of work done by the students of the Vishwavidyalaya in preparation for the requirements of post-graduate degrees;

(g) to co-operate with the relevant college Faculty in which post graduate students are studying in order that the requirements for such degrees may be fulfilled in proper manner;

(h) To be responsible to the Vice-Chancellor in exercise of powers and discharge of duties under the Act;

(i) to undertake teaching work.

17. Powers and Duties of Deans of Faculties. -(1) The Dean of the Faculty concerned shall be appointed on such terms as approved by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst the Deans of colleges in that Faculty for a period of three years. The Vice-Chancellor shall have powers to curtail reduce this period depending upon the exigency of service and convenience of administration.

(2) The Dean of Faculties shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(3) The Dean of the Faculty shall-

(a) be the Chairman of the Faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the administration and execution of Faculty Policies;

(b) be responsible for the due observance of the statutes and other regulations relating to the faculty;

(c) formulate and present policies to the faculty for their consideration without prejudice to the right of any member to present any matter before the Faculty.

(d) be responsible to organize, advise, guide and conduct matters relating to the policies and programmes related with teaching/research/extension/curricula course/ course outlines/examinations/registration and admission etc. in the Faculty and act as the Chief Adviser to the Vice-Chancellor and the other concerned officers in this connection;

(e) serve as the medium of communication for all official business of the Faculty with other authorities of the Vishwavidyalaya, colleges, students and the public;

(f) perform such other duties as assigned to him by the Vice-Chancellor.

18. Dean of College- his emoluments, powers and duties.-(1) the Dean of the College shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) the Dean of the College shall be appointed in accordance with Statute 6(a) (i)

(3) it shall be the duty of the Dean of College-

(a) to exercise overall control of the college of which he is the administrative and academic head in respect of all employees, students, activates, facilities and the expenditure incurred therein;

(b) to supervise the teaching, research and extension work of the staff of the college and be responsible for the work and conduct of all the students of the college;

(c) to be responsible to the Vice-Chancellor through the Dean of the Faculty and the Director concerned, in exercise of the powers and discharge of duties under this Statute,

(d) to exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Vice-Chancellor in regard to the college of which he is the Dean and to be responsible in all technical and administrable matters related to teaching, research and extension etc. through the Dean of the Faculty and the Director concerned;

(e) to undertake teaching, research and extension by himself;

(f) he shall be responsible for the due observance of the Statutes and regulations;

(g) he shall supervise the registration and progress of the students in his college;

(h) he shall formulate and present policies on academic matters pertaining to his college to the Faculty/Academic Council for consideration through the Dean of Faculty/Director of Instructions;

(i) he shall be responsible for proper administration of Research Station/Instructional Farm/ Institutions attached to the college;

(j) he shall also be responsible to the concerning authorities for the use and maintenance of lands, buildings, laboratories, libraries and such other properties of the college, the Research Station/Instructional Farm and other institutions attached to the college;

(k) he shall be responsible for the maintenance, supervision, functioning of the hostels of the college;

(l) to be responsible for the procurement of stores, equipments and such other items as are necessary for the college and units attached with the same;

(m) to be responsible for the maintenance of high standard of discipline in the institutions under him;

(n) to be responsible for the maintenance of high standard of financial discipline in the institutions under him;

(o) to assist the Dean of the Faculty for all policies and programmes related to teaching, research and extension work in the college on coordinated basis;

(p) to prepare proposals for college activities and budget estimates for needs thereof and be responsible to the Comptroller through the Vice-Chancellor, that all college activities are in accordance with sanctions of the appropriate authorities;

(q) (i) to assist the Director of Extension Services on development of plans and budgets for extension work in the institutions under him;

(ii) to assist the extension services on the development of informational materials; and

(iii) to direct the extension education work done by the college staff.

(r) to assist the Director of Instructions and direct the works of post-graduate students in his college.

(s) to be responsible to the Vice-Chancellor for the educational use of the buildings and rooms assigned to the college and for the general equipment of the college;

(t) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor.

19. Vishwavidyalaya Librarian- his emoluments and powers and duties. –(1) The Vishwavidyalaya Librarian shall receive a salary in the scale as approved by the State Government from time to time.

(2) It shall be the duty of the Vishwavidyalaya Librarian-

(a) to maintain, control and supervise all libraries of the Vishwavidyalaya and to organise their Services in the

manner most beneficial to the needs of teaching, research and extension;

(b) to prepare annual budget for developing and operating all the libraries under the Vishwavidyalaya;

(c) to receive and co-ordinate recommendations from Deans and Directors for the purchase of books and distribution thereof amongst students and members of the staff ;

(d) to make recommendations to the Comptroller, on the need of improvement in accommodation of the libraries of the Vishwavidyalaya;

(e) to do such other things in connection with the library and improvement thereof as may be required by the Vice-Chancellor.

Explanation-For the purposes of this Statute "Libraries of the Vishwavidyalaya" shall include libraries of the Vishwavidyalaya campus and all libraries attached to the colleges and institutions under the Vishwavidyalaya.

Note-The Vice-Chancellor may ask any of the officers mentioned in the foregoing Statute or other, hereinafter mentioned, to discharge such other function in addition to his own duties.

CHAPTER III-AUTHORITIES OF THE VISHWAVIDYALAYA

20. Board-(1) The Chancellor shall, by notification, constitute the Board in accordance with the provisions of Section 26 of the Act.

(2) As laid in sub-section (4) of the Section 26 of the Act, the members of the Board (other than ex-officio members) nominated or elected as the case may be, shall, subject to the provisions of Section 55 of the Act, hold office for a term of three years. The term shall commence from the date on which their nomination or election is published.

21.Academic Council.-The Academic Council shall be the academic authority of the Vishwavidyalaya and shall, Subject to the provisions of the act and statutes, have the control and general regulation of teaching, research, development, extension and examinations in the Vishwavidyalaya and shall be responsible for the maintenance of the standards thereof.

(1) Constitution of the Academic Council.

The Academic council shall consist of the following members namely:-

(A) Ex- Officio-Members-

(a) The Vice-Chancellor;

(b) All the Directors;

(c) All Deans of Faculties;

(d) All Deans of Colleges;

(e) The Registrar.

(B) Other Members-

(a) Members not exceeding five, from amongst the Heads of Departments to be nominated by the Vice-Chancellor, on rotational basis;

(b) Three persons having special knowledge of or practical experience in different aspects of Horticulture Sciences to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) Academic Council shall, by regulations, provide for the development of curriculum and syllabi of various Faculties in accordance with the objectives of the Faculty and the degree requirements of the Vishwavidyalaya. Such regulations shall also provide that proposals of the Faculties shall be subject to the approval of the Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Academic Council and the Registrar be the ex-officio Secretary of the Academic Council.

(4) The term of office of the members of the Academic Council, Other than the ex-officio members, shall be three years.

(5) The members of the Academic Council shall not be entitled to receive any remuneration from the Vishwavidyalaya

except such sitting fees, daily and travelling allowances as may be prescribed.

(6) A member of the Academic Council other than the ex-officio members may tender resignation of his membership at any time before the expiry of the term of his office and such resignation shall be conveyed to the Chancellor by a letter in writhing by the member and the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Chancellor.

22. Faculties-(1) The Vishwavidyalaya shall have the following Faculties, namely :-

(i) Faculty of Fruit Science.

(ii) Faculty of Vegetable Science.

(iii)Faculty of Floriculture and Landscaping Architecture Science.

(iv)Faculty of Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Science.

(v) Faculty of Post Harvest Management and Processing Technology Science.

(vi) Faculty of Forestry

(vii) Faculty of each of such subject other than those mentioned above for which a new institution is opened or similar other Faculties offered to qualify students for academic degrees.

(2) Each Faculty shall consist of the following members :-

(a) Dean of the Faculty-Chairman.

(b) All Deans of Colleges.

(c) Heads of Department of Studies in the Faculty.

(d) All Professors and six Research Specialists and three Extension Specialists, employed in the service of the Vishwavidyalaya, nominated by the Dean of Faculty in consultation with Director Research/Director Extension for a period of one year from the date of notification.

(e) One Associate Professor and if there be no Associate Professor, Assistant Professor from each Department in the Faculty, by rotation, for each academic year, according to seniority.

(f) Director of Research Services.

(g) Director of Extension Services.

(h) Director of Instructions.

(i) Not more than two members, not in employment of the Vishwavidyalaya, as the Dean of Faculty may co-opt for a period of two years.

(j) One member from each of the other Faculties as the Dean may, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, co-opt for such period as he may deem fit.

(3) Each Faculty shall be responsible to its Dean.

(4) Each Faculty shall draw up a College Organizational Plan which provides for such departments as deemed best and shall define the scope of the work to be done by the college and the various departments comprised in each such Faculty. A proposal of a Faculty shall be considered by the Academic Council and, if approved by the Council shall be forwarded to the Board for its consideration. Any changes desired by the Council and/or Board shall be referred to the Faculty.

(5) Each Faculty shall consider and make such recommendations to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work as may appear to it necessary or on any matter referred to it by the Academic Council.

(6) Subject to Regulations made by the Academic Council, each Faculty shall develop college curricula and course outlines to meet the degree requirements of the Vishwavidyalaya, and shall provide teachings, laboratory and field experiences and other opportunities for learning and shall participate in research and extension activities, in accordance with the objective of the Vishwavidyalaya.

(7) Subject to the provisions of the Statutes, each Faculty shall prescribed detailed conditions of admission of students to the College and to the various courses of study in the Faculty shall formulate standards for the evaluation of the progress and

attainments of the students of the college and recommend dismissals of students who fail to meet the academic requirements of the college and Vishwavidyalaya.

(8) A Faculty shall recommend to the Board that degrees be conferred on students who have satisfactorily fulfilled the degree requirements of the Faculty and Vishwavidyalaya.

(9) Subject to the Statutes, a Faculty shall-

(a) Assist the Extension Services on the development of plans for training of cultivators and others who are not students of the college and shall recommend to the Director of Extension Services, the issuance of diplomas, certificates or other recognitions to those meeting the prescribe requirements ; and

(b) Assist the Research Service on the development of plans for the conduct of research work aimed at practical solution to cultivator problems.

23. Other Authorities.-In addition to the authorities mentioned in clause (i) to (iii) of Section 25, the following shall be the authorities of the Vishwavidyalaya, namely :-

(1) Administrative Council.

(2) Extension Education Council.

(3) Research Council.

(4) Council of Post-Graduate Studies.

24. Administrative Council-(1) The Administrative Council shall consist of the following persons, namely :-

(a) Vice-Chancellor-Chairman.

(b) Comptroller.

(c) Registrar-Secretary.

(d) All Deans of Faculties.

(e) Two Deans of Colleges nominated by the Vice-Chancellor for a period of one year by rotation.

(f) Director of Research Services.

(g) Director of Extension Services.

(h) Director Instructions.

(i) Two Heads of the Departments Faculty nominated in rotation according to the seniority for a period of one year.

(j) Dean of Student Welfare.

(2) It shall be the duty of the Administrative Council to make recommendations to the Vice-Chancellor on all matters with which Vishwavidyalaya is concerned save matters pertaining to academic aspects, as may be referred to it by the Board, the Vice-Chancellor, the Academic Council or the Faculties.

25.Extension Education Council-(1) The Extension Education Council shall consist of the following persons, namely :-

(a) Director of Extension Services-Chairman.

(b) All Deans of Faculties and all Deans of Colleges-One of the Deans of Colleges as may be appointed by the Chairman shall act as its Secretary.

(c) Director of Research Services.

(2) The Extension Education Council shall be responsible to the Director of Extension Services and shall considered and make recommendations on all matters pertaining to Education Extension and specially with respect to-

(a) Training of College Students.

(b) Horticulture Rural Life Extension Service.

(c) Preparation of educational material for cultivators.

(d) Conduct of short courses, etc. for non-students.

(e) Field extension programmes for the benefit of cultivators.

(f) The development of horticulture production and making co-operatives.

(g) Preparation of material for development of horticulture such as publications, films, etc., for better development of extension work.

26. Research Council-(1) The Research Council shall consist of the following members, namely:-

(a) Director of Research Services-Chairman.

(b) All Deans of Faculties and Deans of College.

(c) Director of Extension Services.

(d) Librarian.

(e) Such other Heads of the Department, not more than two, as may be nominated by the Director of Research Services.

(f) One of the Deans of Colleges to be nominated by the Director of Research Services-Secretary.

(2) The Research Council shall be responsible to the Director of Research Services and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to horticulture research of the Vishwavidyalaya and especially with respect of-

(a) Horticulture rural life research service ;

(b) Preparation of material for development of horticulture such as publications, films, etc., for better development of research.

27.Council of Post-Graduate Studies.-(1) The Council of Post-graduate Studies shall consist of the following members, namely:-

(a) Dean of Faculty to be nominated by Vice-Chancellor-Chairman.

(b) All Deans of Faculties.

(c) All Deans of Colleges.

(d) Director of Research Services.

(e) Director of Extension Services.

(2) The Council of Post-Graduate Studies shall work under the overall purview of the Academic Council but shall be responsible to the Director of Instructions and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to Post-Graduate studies and especially with respect to -

(a) development and laying down of standard of admission to post-graduate courses of the Vishwavidyalaya ;

(b) prescription of courses, research and other requirements for post-graduate degrees ;

(c) evaluation of performance of candidates for post-graduate degrees with concurrence of the Dean of the Faculty concerned for the award of post-graduate degree ;

(d) performance of such other functions as may be assigned by the Board and Vice-Chancellor.

28.Committees of the Authorities of the Vishwavidyalaya.- (1) Each authority of the Vishwavidyalaya may appoint such committees as it may consider necessary for the efficient discharge of the duties assigned to it, by or under the Act.

(2) There may be appointed on each Committee a member or members of other authorities and such members of the staff of the Vishwavidyalaya as the authority may deem fit to appoint.

29. Travelling allowance and Daily allowance payable to members of authorities.-The members of the authorities or any of their committees shall be paid travelling and daily allowances for attending meetings of the authority or any Committee thereof at such rates as the Board may determine by Regulations.

CHAPTER IV- EMPLOYEES OF THE VISHWA VIDYALAYA

A- Teachers of the Vishwavidyalaya

30.Teachers of the Vishwavidyalaya.-(1) Teachers of the Vishwavidyalaya shall be either-

(a) Servants of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya for imparting instructions and/or conducting and guiding research and/or extension programmes as-

(i) Professor,

(ii) Associate Professor;

(iii) Assistant Professor; or

(b) Persons appointed by the Board as Honorary Teachers in any of the aforementioned categories on such terms and conditions as the Board may prescribe by Regulations.

(2) A teacher shall be eligible to impart instructions and/or conduct or guide research and/or extension programme only up to such standard for which he is recognized as such in accordance with the regulations made by the Board in this behalf.

(3) A teacher shall perform such functions and discharge such duties as may be prescribed by Regulations by the Academic Council.

(4) The word "Teachers/Teacher" wherever occurs shall include persons engaged in Research and Extension activities.

31. Qualifications for teachers of the Vishwavidyalaya.-Subject to the approval of the Board the Academic Council shall, by Regulations, prescribe the qualifications for candidates for the various grades of teachers of the Vishwavidyalaya.

32. Scales of pay of teachers and other terms and conditions of their service.-(1) The scales of salaried teachers (as follows) shall be as approved by the State Government from time to time:

(i) Professor/Equivalent.

(ii) Associate Professor/Equivalent.

(iii) Assistant Professor/Equivalent.

(2) On the specific recommendations by the Selection Committee supported by reasons recorded in writing, the Vice-Chancellor in consultation with the Comptroller may sanction a higher initial salary-

(a) not exceeding seven advance increments over the initial pay in the scale of the post to which appointment is to be made; or

(b) in the case of a candidate already employed, not exceeding five increments over his pay elsewhere and in case his said pay does not correspond to any stage in the scale of pay for the post, the stage in the said scale just below the salary the candidate is already drawing.

Note :-All cases in which advance increments are granted under (a) and (b) shall be duly reported to the Board within four months of the appointment.

(3) Subject to the provisions of the Act and these Statutes the other conditions of service of the Teachers of the Vishwavidyalaya shall be those embodied in an Agreement of service prescribed by the Vishwavidyalaya for teachers.

(4) All salaried Teachers of the Vishwavidyalaya shall be wholetime teachers and shall be entitled to leave, leave salary, allowance and other benefits as may be prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees.

(5) The word 'Teacher' wherever it occurs includes persons engaged in Research and Extension Activities.

B-Heads of Departments, Heads of Research Station and Heads of Field Extension Unit.

33. Responsibilities and duties, etc., of Head of Department.- As a Department is the primary unit of teaching, research and extension in a particular field of knowledge within a Faculty, the responsibilities and duties of the Head of Department shall be as follows :-

(a) He shall be responsible to the Dean for organization of the teaching, in the Department, for the quality and efficient progress of the work related therewith and for the formulation and execution of Departmental policies as they effect the Department.

(b) He shall report on the teaching, research and extension work of the Department to the Dean of College concerned with copies to other Deans of Colleges and the Dean.

(c) He shall have general supervision of the work of students in the Department.

(d) He shall prepare the Departmental budget and be responsible for distribution and expenditure of departmental funds and for the care of departmental property.

(e) He shall regularly call meetings of the departmental staff for discussion of policies, educational procedures and research and inform staff members of the Department regarding the nature and scope of the work in charge of the Department.

(f) To exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Director Research and Director Extension and to be responsible through the Dean to the Officer, whose powers and duties he exercises.

C-Other Employees of the Vishwavidyalaya and their Conditions of Service etc.

34. Service Personnel. - The Vishwavidyalaya shall employ such other service personnel other than those hereinbefore mentioned as may from time to time be needed to carry on the activities of the Vishwavidyalaya. The pay scales, qualifications for recruitment, conditions of service and duties to be performed by such service personnel shall be such as may be prescribed by the Board. Such service personnel shall be under the control of the respective officers (concerned) of the Vishwavidyalaya and shall be responsible to them provided that appeals against punishment and adverse application of service conditions, shall be with the authority, next above the appointing authority.

D- General

35. Additional work of Vishwavidyalaya employees.- (1) An employee of the Vishwavidyalaya, shall be entitled to additional comparison for work done for the Vishwavidyalaya in addition to his regularly prescribed duties, when so sanctioned by and such rate of pay as may be approved by the authority or officer indicated herein for the pertinent class of employees:-

Officers	---	Board
Teachers	---	Vice-Chancellor
Service Personnel	---	Comptroller

(2) An employee of the Vishwavidyalaya (including an officer, teacher or service personnel) shall not engage in activities outside the Vishwavidyalaya when any such activity does or is likely to result in damage to the best interests of the Vishwavidyalaya. Questions on the propriety of any such activity shall be considered by the authority indicated herein. If any activity is found not to be in the best interests of the Vishwavidyalaya, the authority shall recommend to the Board, through the Vice-Chancellor, that the employee does not engage or cease to engage in such activity. The decision of the Board shall in this matter be final and transmitted in writing to the employees :-

Officers	---	Administrative Council
Teachers	---	Academic Council
Service Personnel	---	Administrative Council

(3) No employee of the Vishwavidyalaya shall be eligible to additional remuneration except as provided in these Statutes.

36.Leave.-Until the Board may make Regulations in the matter of leave, all the employees of the Vishwavidyalaya shall be governed by the leave rules applicable to State Government servants of the corresponding grade.

37. Emoluments of retired employee.-Notwithstanding anything contained in the Statutes, the emoluments of an employee, other than the Vice-Chancellor who is recruited after his retirement from Government Service, shall be fixed in the Vishwavidyalaya on the basis of last pay drawn minus pension and pension equivalent of death-cum-retirement gratuity, provided that the Board may in any specific case, for reason to be recorded in writing, relax the provision under this Statutes.

CHAPTER V - PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY, ETC.

38. Schemes.-The pension, gratuity, family pension and commutation of pension benefit shall admissible to existing officers, teachers and other employees of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya shall continue after their transfer to the University. These benefits shall be applicable as per Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules,1976 and the Chhattisgarh Pension (Commutation) Rules, 1976 as amended from time to time.

University may with permission of the State Government may adopt new pension for the officers, teachers and employees of the University who are not member of the old pension scheme.

39. Pension and Gratuity fund.-In order to meet the expenditure on pension and gratuity disbursement to the employees of the Vishwavidyalaya as prescribed in the Chhattisgarh Civil Service (Pension) Rules, 1976 and in order to meet other incidental expenses on the operation of the scheme a Pension and Gratuity Fund shall be created centrally, to be operated by the Comptroller. It shall comprise and constituted out of the Following amounts:-

(a) Monthly contributory fund subscription made by the Vishwavidyalaya to the account of each employee share.

(b) Grant-in-aid sanctioned by the Government from time to time to cover the deficiency of funds in running the Pension and Gratuity scheme.

(c) Amount earned as interest on investment of the Fund.

40.Contribution to Pension Fund.- The monthly contribution of each employee as Vishwavidyalaya share shall be fixed once in a year preferably in April and the amount so determined in respect of the eligible employees of the Vishwavidyalaya shall be credited in the Pension and Gratuity Fund. The assessment of the amount shall be done in the month of May of the following year and the difference of amount, if any, shall be made good.

41. Audit of Pension Fund.-The amounts of pension fund at the Vishwavidyalaya headquarter shall be checked and audited by the Local Fund Accounts, Department of State Government of Chhattisgarh through their departmental auditors.

42.General Provident Fund Rules.- The Chhattisgarh General Provident Fund Rules, 1955 as amended from time to time shall be applicable to the employees enjoying the benefit of the Pension and Gratuity Scheme.

43. General Provision.-In case of doubt or where any provision in the Statue is not clear, the rules as laid down in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976 shall be applicable.

44. Authority.-The Vice-Chancellor shall be the final authority in all matters relating to pension cases, who has decision has to be taken decision regarding date of Birth, qualifying services, admissibility of pension and other similar issue.

CHAPTER VI-ACADEMIC PROGRAMMES,ADMISSIONS, PERFORMANCE

A-Organization of teaching

45. Academic Programmes Definitions.-In this Chapter, unless the context otherwise requires-

(a) "Academic Year" means a twelve month period during which a cycle of works is completed;

(b) "Semester" means a 18 to 22 weeks period; there being two such periods in an Academic Years;

(c) "Curriculum" means a series of courses selected and designated to provide training to meet the requirement of a degree;

(d) "Course" means a series of classes and work experience existing over a semester and being as integral and specific part of a curriculum;

(e) "Course-out-line" means a detailed out-line of the subject matter of a course carefully co-related with other syllabi to avoid omissions and/or duplication in a particular field of study;

(f) "Course Credit " means a quantitative measure of a course, on credit being allowed for three hours of expected student effort per week through a semester ;

(g) "Course Load" means 24 credits which a student may complete each semester.

46. Vishwavidyalaya Calendar, Academic Year, Semesters, Annual Catalogue.-(1) The Academic Year shall normally commence of the first working day of July every year.

(2) The Semester shall normally be as follows:-

First Semester-July to November-December.

Second Semester-November-December to April-May.

In each semester, there shall be not less than 105 full days in which classes and/or interim examinations are conducted, laboratories and libraries are open.

(3) The Vishwavidyalaya shall publish prior to the beginning of a Academic Year, a Vishwavidyalaya Annual Catalogue containing, as far as possible but not limited to the following:-

(a) Starting date of Academic Year and each Semester and dates of official holidays;

(b) Qualifications of and maximum number of students which may be admitted to the various Colleges;

(c) Fees which are to be charged for registration, course, laboratories, student affairs, hostels, etc, ;

(d) Scholarships, Student Loans and other sources from which students may meet their financial needs;

(e) Degrees, diplomas, medals, etc., awarded by the Vishwavidyalaya and the requirements there for;

(f) Lists of courses offered in each college during each semester indicating the contents, Course Credits, pre-requisites, etc., for each course;

(g) Requirements for students to maintain satisfactory standing in courses and the Vishwavidyalaya, conditions of probation and causes for dismissal;

(h) Hostels and other residential accommodation for students;

(i) Uniforms and other ancillary matter that may be required of the students.

B-Student Admissions Performance.

47. Qualifications for student admission to the Vishwavidyalaya.-(1) The minimum academic attainment for admission to a college of the Vishwavidyalaya shall be laid down by the Vishwavidyalaya Board except as under clause (1) of Statute 48.

(2) In addition to the prescribed academic attainments, a candidate for admission to the Vishwavidyalaya shall possess good moral habits and such other personal and physical pre-requisites as may determined by the Dean of Student Welfare.

(3) The names of all the students who are admitted to the Vishwavidyalaya shall as soon as may be after their selection is so made be posted on the Notice Board of the Registrar and if the Registrar considers it necessary to be published, then it is published in such other manner as he may deem fit.

48. Credit for previous studies and experiences; admission, advance standing.-A candidate for admission, who does not fulfill requirement for admission prescribed in statute 48 but who has had other valuable experiences and/or possesses special abilities, may be granted credit for such experience and/or abilities so as to quality him for admission to the Vishwavidyalaya. An evaluation of such possible substitute qualifications shall be made by the Dean of

the appropriate Faculty and reported to the Registrar for purposes of record of admission of such students.

49. Evaluation of students' performance.-The Course Grade earned by a student shall be determined in accordance with the rules/regulations to be framed by the Academic Council from time to time.

The teacher shall report in accordance with the rules prescribed by the Dean of Student welfare, his opinion on the degree to which the student is a "good" student of the Vishwavidyalaya.

50. Student Probations and dismissals.- The conditions of probation and dismissals of the students shall be accordance with the academic rules/regulations to be framed by the Academic Council.

51. Extra-curricular activities of students, Vishwavidyalaya activities, employment.-(1) An enrolled student shall not engage in Vishwavidyalaya extra-curricular activities which, in the opinion of teacher, seriously interfere with satisfactory performance in his classes; provided that any such ruling of a teacher may be over-ruled by the Dean of Student Welfare whose decision shall be final.

(2) An enrolled student shall not engage in work for the Vishwavidyalaya or outside the Vishwavidyalaya, for or without compensation, when such work is deemed by a teacher to interfere seriously with the quality of the student's class work; provided that such a ruling of a teacher may be over-ruled by the Dean of Student Welfare with prior concurrence of the Dean of the Faculty to which the student belongs and the decision of the Dean of Student Welfare in the matter shall be final. In case of difference of opinion between the Dean of Student Welfare and the Dean of the Faculty, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor whose decision in that case shall be final.

C-Scholarship and Loan Funds, Student Fees.

52. The Vishwavidyalaya Scholarship and Student Loan Funds.-(1) The Vishwavidyalaya shall establish and maintain a scholarship fund, from which funds may be granted to an enrolled student-

(a) to assist him in meeting his expenses while attending the Vishwavidyalay and/or

(b) as an award to him for outstanding performance in the Vishwavidyalaya.

In accordance with joint recommendations of the Administrative Council and Academic Council, the Board shall make Regulations governing the operations of the Vishwavidyalaya Scholarship Fund.

(2) The Vishwavidyalaya shall establish a Student Loan Fund, from which funds may be provided as loans to an enrolled student when such assistance is needed to help him to meet the costs of attending the Vishwavidyalaya. In accordance with recommendations of the Administrative Council, the Board shall make Regulations governing the operations of the Vishwavidyalaya Student Loan Fund.

53. Student Fees, Registration, Course, Laboratory and others.-(1) At the time of registration in each semester, an enrolled student shall pay such registration fee as may be prescribed by Regulations. Save as provided in clause (4), the registration for the Semester shall not be completed until the fee is paid, and such fee shall not be refunded once the student is accepted by the Vishwavidyalaya.

(2) At the time of registration for a course in the Vishwavidyalaya, an enrolled student shall pay a course fee which shall be such as may be prescribed by Regulations. Same as provided in clause (4) admission to a Course shall not be permitted until the fees is paid and such fee shall not be refunded except in accordance with Regulations made by the Administrative Council.

(3) The Administrative Council, with the approval of the Vice-Chancellor, shall prescribe by Regulation fees that an enrolled student shall pay for the use of Cafeterias, libraries, laboratories and other Vishwavidyalaya facilities etc.,

(4) The Board, on the recommendations of the Administrative Council, shall make Regulations for exempting indigent persons, referred to in Section 9 from the payment of fees prescribed under clauses (1), (2) and (3) above. Furthermore, on the recommendations of the Administrative Council the Board may also make Regulations regarding exemption of fees for other enrolled students when such exemption is deemed to be in the best interest of the Vishwavidyalaya.

CHAPTER VII--VISHWAVIDYALAYA DEGREE, DIPLOMA, AWARDS.

54. Bachelor degrees binds, requirements.-(1)The Vishwavidyalaya shall, when so approved by the Board grant to an enrolled student who has fulfilled the requirement of the Vishwavidyalaya, a Bachelor's degree, as follows-

(a) Bachelor of Science (Horticulture),

(2) A Bachelor's degree shall require the completion of a series of courses (curriculum) prescribed by the Faculty and approved by the Academic Council. The curriculum shall include courses in:-

(a) basic science and humanities,

(b) basic subject of the Faculty,

(c) fields related thereto, and

(d) special professional and/or vocational subjects,

All of which provide opportunities for a student to gain basic and usable knowledge which should make him capable of dealing reasonably well with all facts of horticulture and rural life and specially with the particular activities for which he has taken special courses.

A student in order to earn a Bachelor's degree shall according to prescribed standards, have completed in the Vishwavidyalaya or acquired by 'Approved Transfer', the course credits prescribed by regulation for the particular degree and shall have earned at least an 5.50 credit Grade Point Average out of 10.00 for all courses completed Faculty(where as to earn a Master degree he/she shall

have earned atleast 6.50 OGPA out of 10.00) that in addition to above, the student shall in the judgment of the Faculty, possess good moral habits and a high standard of honesty.

(3)A student who, in meeting the Vishwavidyalaya requirements for a degree, has earned an Overall Grade Point Average 7.5 and above, as an under graduate, and 8.5 and above as post-graduate, shall be awarded a Certificate of Honour.

55. Advanced Degree, kinds and requirements.- (1) The Vishwavidyalaya shall, when so approved by the Board grant to a student who has fulfilled Vishwavidyalaya requirements, a Master's Degree, as follows :-

(a) Master of Science in (Horticulture) Fruit Science

(b) Master of Science in (Horticulture) Vegetable Science

(c) Master of Science in (Horticulture) Floriculture and Landscaping Architecture Science

(d) Master of Science in (Horticulture) Plantation Crops, Spices, Medicinal and Aromatic Science

(e) Master of Science in (Horticulture) Post Harvest and Processing Technology Science

(f) Ph.D.

(2) As prescribed by the Council of post graduate studies approved by the Academic Council, a student shall have completed in a creditable manner in the Vishwavidyalaya or acquired by approved Transfer atleast 82 course credits, after Bachelor's Degree applicable to the particular degree, In addition, he shall have completed a research project and submitted to the Faculty a creditable thesis.

(3) The Vishwavidyalaya shall, when so approved by the Board, grant to a Post Graduate student who has fulfilled Vishwavidyalaya requirements, the Degree of Doctor of Philosophy, as prescribed by the Council of Post Graduate Studies and approved by the Academic Council, a student shall have completed in a creditable manner in the Vishwavidyalaya or acquired by approved transfer

atleast 70 Course Credits, after Master's Degree, applicable to the Doctor's Degree. In addition, he shall have completed a comprehensive research project and submitted an acceptable thesis and in addition he shall have demonstrated in a conclusive manner by examination by the Faculty, that he possesses outstanding competency in the field of specialization.

56. Honorary Degrees.- A proposal for the award of an Honorary Degree shall first be examined by the Academic Council. The Council shall, thereafter forward to the Board through the Vice-Chancellor the results of such examination. The Board shall make such recommendation to the Chancellor as it deems to be in the best interests of the Vishwavidyalaya.

57. Diplomas, Medals, Certificates.- The Vice-Chancellor may, in accordance with the regulations made by the Academic Council and upon a recommendation made to him by the Council in that behalf award to enrolled students and to other person who have completed non-degree work sponsored by the Vishwavidyalaya, appropriate diplomas, certificates, medals, etc. as deemed by the Council and Vice-Chancellor to be in the best interests of the Vishwavidyalaya.

58. Withdrawal of Degrees, Diplomas, etc.-The Board may on the recommendation of the Academic Council, by a resolution passed by a majority of the total membership of the Board and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Board present and voting withdraw a degree, diploma, certificate or other academic distinction conferred by the Vishwavidyalaya, provided that the withdrawal of an honorary degree shall have the concurrence of the Chancellor.

CHAPTER VIII-ASSOCIATIONS RELATED TO VISHWAVIDYALAYA

59. Alumni Association.- There may exist within but not as official authority of the Vishwavidyalaya, an organization to be known as the Vishwavidyalaya Alumni Association. Only persons who have received and continue to hold a degree from the Vishwavidyalaya

shall be eligible for full membership in the Association.Vishwavidyalaya degree holders, under the guidance of the Vice-Chancellor, may establish such an association with constitutional bye-law approved by the Board :

Provided that a person of eminence may be adopted as patron of the Alumni association.

CHAPTER IX--STAFF HOUSING, STUDENT HOSTELS AND OTHER ACCOMMODATIONS.

60. Employee Housing and other Accommodations.- (1) The Vishwavidyalaya may procure, construct, own, take on lease, and use houses for - Vishwavidyalaya employees as determined by the Board to be necessary for the proper functioning of the Vishwavidhyalaya. Administrative Council shall make up and adopt Regulations for the proper administration of staff housing matters.

(2) As recommended by the Administrative Council the Board may provide and operate for employees of the Vishwavidyalaya health, recreational and other ancillary facilities. All such facilities shall be administered as provided in Regulations prepared and adopted by the Administrative Council.

61.Student quarters, Cafeterias and other accommodations for students.- (1) An enrolled student of the Vishwavidyalaya shall live in :-

(a) his own home or the home of his parents, or

(b) in a Vishwavidyalaya hostel or approved accommodation for students.

Regulations on this subject shall be made by the Academic Council.

(2) the Vishwavidyalaya shall provide and operate for enrolled students of the Vishwavidyalaya such cafeterias, health, recreational, shopping and other ancillary facilities as may be deemed by the Board to be in the best interests of the Vishwavidyalaya. The Administrative Council shall, in consultation with the Academic council make Regulations for such purpose. The

Regulations shall be administered by the Dean of Student Welfare and/ or by such other persons as may be designated by him with the approval of the Vice-Chancellor.

62. Vishwavidyalaya Hostels for Students.-(1) The Vishwavidyalaya shall provide and operate as deemed by the Board to be in the best interests of the Vishwavidyalaya, student hostels and other housing facilities for enrolled students of the Vishwavidyalaya.

(2) Subject to the provision of clause (3) an enrolled student who occupies a Hostel or other housing facility of the Vishwavidyalaya shall, pay to the Vishwavidyalaya such hostel fee as may be determined by the Board prior to the beginning of Semester.

(3) The Board may grant exemption from payment of the hostel fee to an indigent person or such other student as it may deem fit.

(4) The Administrative Council shall, with concurrence of the Academic Council, make Regulations for the management of hostels and other matters related thereto and such Regulation shall be administered by the Dean of Student Welfare. The Regulations so made shall provide for maximum participation of enrolled students in the management of hostels occupied by them, as it consistent with good management of a Vishwavidyalaya facility.

(5) For the purposes of this Statute, the Hostel Fee shall include messing charges.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.C. PAINKARA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.